

[दि फाइनेंस बिल, 2013 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2013

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2013 है ।
- 5 (2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 53 तक 1 अप्रैल, 2013 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण आय-कर ।
10 वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

- 15 (क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

- 20 (i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

- 25 (iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “दो लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्द रखे गए हों :

30

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “दो लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115अख या धारा 115जग या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथा उपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

1961 का 43

परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, पैरा ड में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखड या धारा 115अख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से,

अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115अख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, आय-कर और आय-कर पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115थक या धारा 115द की उपधारा (2) या धारा 115नक के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ड, धारा 194डड, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194ज, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठग, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा 5 संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

10 (ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

15 परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर”, पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, “अग्रिम कर” की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित “अग्रिम कर” की रकम में, कंपनी के मामले से संबंधित पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

30 परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखड, धारा 115ड, धारा 115जख और धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” में,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पांच प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दो प्रतिशत की दर से ;

45 (ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह और भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह और भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” होगी :

परंतु ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “दो लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्द रखे गए हों:

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “दो लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, उसमें उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें आय-कर अधिनियम के अधीन उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित किए गए अनुसार कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है मानो स्रोत पर कर की कटौती के अधीन रहते हुए आय को भारत में कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति या देशी कंपनी को संदत्त किया गया है ।

(12) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर एक प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें आय-कर अधिनियम के अधीन उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित किए गए अनुसार कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, मानो स्रोत पर कर की कटौती के अधीन रहते हुए आय को भारत में कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति या देशी कंपनी को संदत्त किया गया है ।

10 (13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “देशी कंपनी” से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

15 (ख) “बीमा कमीशन” से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, “शुद्ध कृषि-आय” से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

20 (घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके क्रमशः उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

25 3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में, 1 अप्रैल, 2014 से,—

धारा 2 का संशोधन।

(क) खंड (1क) में,—

(1) उपखंड (ग) के परंतुक के खंड (ii) में,—

(i) मद (क) में, “उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार, जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के प्रथम दिन के पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

30 (ii) मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(ख) एरियल रूप से मापित दूरी के भीतर किसी क्षेत्र में,—

(I) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से दो किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस हजार से अधिक किन्तु एक लाख से अधिक नहीं है ; या

35 (II) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से छह किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु दस लाख से अधिक नहीं है ; या

(III) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से आठ किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है ।”;

(2) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

40 “स्पष्टीकरण 4—उपखंड (ग) के परंतुक के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, “जनसंख्या” से उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के प्रथम दिन के पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं ;”;

(ख) खंड (14) के उपखंड (iii) में,—

(i) मद (क) में, “उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के प्रथम दिन के पूर्व

प्रकाशित किए जा चुके हैं” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(ख) एरियल रूप से मापित दूरी के भीतर किसी क्षेत्र में,—

(I) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से दो किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस हजार से अधिक किन्तु एक लाख से अधिक नहीं है ; या 5

(II) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से छह किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु दस लाख से अधिक नहीं है ; या

(III) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से आठ किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, “जनसंख्या” से उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार 10 जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के प्रथम दिन के पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं ;’

धारा 10 का संशोधन। 4. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(I) खंड (10घ) में, 1 अप्रैल, 2014 से,—

(i) उपखंड (घ) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु यह भी कि जहां 1 अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात् जारी की गई पालिसी ऐसे किसी व्यक्ति के 15 जीवन बीमा के लिए है, जो,—

(i) धारा 80प में यथानिर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति या गंभीर निःशक्त व्यक्ति है ; या

(ii) धारा 80घघख के अधीन बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट रोग या व्याधि से पीड़ित है,

वहां इस उपखंड के उपबंधों का प्रभाव यह होगा मानो “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “पन्द्रह प्रतिशत” शब्द रख दिए गए हैं ।’; 20

(ii) स्पष्टीकरण 1 में अंत में आने वाले “कोई जीवन बीमा पालिसी अभिप्रेत है” शब्दों के पश्चात्, “और इसके अंतर्गत ऐसी पालिसी भी है जो ऐसे किसी व्यक्ति को पालिसी की अवधि के दौरान किसी समय प्रतिफल सहित या उसके बिना, समनुदिष्ट की गई है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) खंड (23घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2014 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(23घक) प्रतिभूतिकरण के क्रियाकलाप से किसी प्रतिभूतिकरण न्यास की कोई आय। 25

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “प्रतिभूतिकरण” का वही अर्थ होगा, जो—

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लोक प्रस्थापना और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों का सूचीबद्धकरण) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (द) में उसका है ; या 30

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मानक आस्ति प्रतिभूतिकरण संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन उसका है ;

(ख) “प्रतिभूतिकरण न्यास” का वही अर्थ होगा जो धारा 115नग के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में उसका है ;’;

(III) खंड (23डग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 35

‘(23डघ) किसी निक्षेपागार द्वारा विनियमों के अनुसार गठित ऐसी विनिधानकर्ता संरक्षण निधि के, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, निक्षेपागार से प्राप्त अभिदायों के रूप में कोई आय:

परंतु जहां निधि के जमा खाते में पड़ी और जिस पर किसी पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर प्रभारित नहीं किया गया है, किसी रकम को पूर्णतः या भागतः किसी निक्षेपागार के साथ बांटा जाता है तो इस प्रकार बांटी गई संपूर्ण रकम 40 को उस पूर्ववर्ष की आय समझा जाएगा जिसमें ऐसी रकम को इस प्रकार बांटा जाता है और तदनुसार वह आय-कर से प्रभार्य होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

1996 का 22

(i) “निक्षेपागार” का वही अर्थ होगा जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) में उसका है ;

1992 का 15

1996 का 22 5

(ii) “विनियम” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;’;

(IV) खंड (23चख) में, स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “जोखिम पूंजी कंपनी” से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है जिसे—

1992 का 15

10

(अ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् जोखिम पूंजी निधि विनियम कहा गया है) के अधीन जोखिम पूंजी निधि के रूप में तारीख 21 मई, 2012 के पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और विनियमित किया जाता है ; या

1992 का 15

15

(आ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आनुकल्पिक विनिधान निधि विनियम कहा गया है) के अधीन आनुकल्पिक विनिधान निधि के प्रवर्ग 1 के उपप्रवर्ग के रूप में जोखिम पूंजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और विनियमित किया जाता है और जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है, अर्थात् :—

(i) यह किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है ;

20

(ii) इसने अपनी विनिधानयोग्य निधियों के कम से कम दो-तिहाई का असूचीबद्ध साधारण शेयरों या जोखिम पूंजी उपक्रम की साधारण सहबद्ध लिखतों में विनिधान किया है ; और

(iii) इसने ऐसे किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान नहीं किया है, जिसमें उसका निदेशक या कोई सारवान् शेयर धारक (जो उसकी साधारण शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक साधारण शेयरों का हिताधिकारी स्वामी है) व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम की समादत्त साधारण शेयर पूंजी के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक के साधारण शेयर धारण करती है ;

25

(ख) “जोखिम पूंजी निधि” से ऐसी कोई निधि अभिप्रेत है,—

1908 का 16

(अ) जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख के अधीन चलाई जा रही है, जिसे—

(I) तारीख 21 मई, 2012 के पूर्व जोखिम पूंजी निधि विनियम के अधीन जोखिम पूंजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और विनियमित किया जाता है ; या

30

(II) जोखिम पूंजी निधि विनियम के अधीन प्रवर्ग 1 आनुकल्पिक विनिधान निधि के उपप्रवर्ग के रूप में जोखिम पूंजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है, अर्थात् :—

(i) इसने अपनी विनिधानयोग्य निधियों के कम से कम दो-तिहाई का असूचीबद्ध साधारण शेयरों या जोखिम पूंजी उपक्रम की साधारण सहबद्ध लिखतों में विनिधान किया है ;

35

(ii) इसने ऐसे किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान नहीं किया है, जिसमें उसका न्यासी या व्यवस्थापक व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम की समादत्त साधारण शेयर पूंजी के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक के साधारण शेयर धारण करता है ; और

(iii) उसके द्वारा निर्गमित यूनितें, यदि कोई हैं, किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं ; या

1963 का 52

40

(आ) भारतीय यूनित ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित भारतीय यूनित ट्रस्ट द्वारा बनाई गई जोखिम पूंजी स्कीम के रूप में चलाई जा रही है ;

(ग) “जोखिम पूंजी उपक्रम” से—

(i) जोखिम पूंजी निधि विनियम के विनियम 2 के खंड (ढ) में यथापरिभाषित कोई जोखिम पूंजी उपक्रम; या

(ii) आनुकूलिक विनिधान निधि विनियम के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (कक) में यथा परिभाषित कोई जोखिम पूंजी उपक्रम,

अभिप्रेत है ।’;

(V) खंड (34) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(34क) धारा 115थक में यथानिर्दिष्ट कंपनी द्वारा, शेयरों के (जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं) क्रय द्वारा वापस लेने के मद्दे किसी निर्धारिती को, जो शेयर धारक है, उद्भूत कोई आय ;”;

(VI) खंड (35) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(35क) किसी प्रतिभूतिकरण न्यास से किसी व्यक्ति द्वारा, जो उक्त न्यास का विनिधानकर्ता है, धारा 115नक में निर्दिष्ट वितरित आय के रूप में प्राप्त कोई आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए “विनिधानकर्ता” और “प्रतिभूतिकरण न्यास” पदों का वही अर्थ होगा जो धारा 115नग के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में क्रमशः उनका है ;”;

(VII) खंड (48) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(49) राष्ट्रीय वित्तीय होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो केंद्रीय सरकार द्वारा गठित कंपनी है, की 1 अप्रैल, 2014 को या इसके पूर्व आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की आय ।”।

नई धारा 32कग का अंतःस्थापन। 5. आय-कर अधिनियम की धारा 32कख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नए संयंत्र या मशीनरी में विनिधान।

‘32कग. (1) जहां कोई निर्धारिती, जो कोई कंपनी है, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगा हुआ है, 31 मार्च, 2013 के पश्चात्, किन्तु 1 अप्रैल, 2015 के पूर्व नई आस्ति अर्जित करता है और लगाता है और ऐसी नई आस्तियों की वास्तविक लागत की कुल रकम एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, वहां निम्नलिखित कटौती अनुज्ञात की जाएगी,—

(क) 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए 31 मार्च, 2013 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2014 से पूर्व अर्जित और लगाई गई नई आस्तियों की वास्तविक लागत की पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि, यदि ऐसी आस्तियों की वास्तविक लागत की कुल रकम एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है ; और

(ख) 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए 31 मार्च, 2013 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2015 के पूर्व अर्जित और लगाई गई नई आस्तियों की वास्तविक लागत की पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि, जो खंड (क) के अधीन अनुज्ञात कटौती की रकम, यदि कोई है, को घटा कर आए।

(2) यदि निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई और लगाई गई किसी नई आस्ति का उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, समामेलन या अविलयन के संबंध में के सिवाय, विक्रय किया जाता है या अन्यथा उसे अंतरित किया जाता है, तो ऐसी नई आस्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौती की रकम को, उस पूर्ववर्ष के जिसमें ऐसी नई आस्ति का ऐसी नई आस्ति के अंतरण के मद्दे उद्भूत अभिलाभों की कराधेयता के अतिरिक्त विक्रय किया जाता है या उसे अन्यथा अंतरित किया जाता है, “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन निर्धारिती की प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

(3) जहां नई आस्ति का, लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर विक्रय किया जाता है या उसे समामेलन या अविलयन के संबंध में अन्यथा अंतरित किया जाता है, वहां उपधारा (2) के उपबंध, यथास्थिति, समामेलित कंपनी या परिणामी कंपनी को इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे समामेलक कंपनी या अविलयित कंपनी को लागू होते हैं।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए “नई आस्ति” से कोई नया संयंत्र या मशीनरी (पोत या वायुयान से भिन्न) अभिप्रेत है, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं—

‘(i) ऐसा कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसका उपयोग निर्धारिती द्वारा इसके लगाए जाने से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर या बाहर किया गया था ;

(ii) किसी कार्यालय परिसर या किसी निवास-स्थान में, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति की आवास सुविधा भी है, में लगाया गया कोई संयंत्र या मशीनरी ;

(iii) कोई कार्यालय साधित्र, जिनके अंतर्गत कम्प्यूटर या कम्प्यूटर साफ्टवेयर भी है ;

(iv) कोई यान ; या

(v) कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत को किसी पूर्ववर्ष के “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में, कटौती (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) के रूप में अनुज्ञात किया जाता है ।’।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2014 से,—

धारा 36 का संशोधन।

(क) खंड (vii) में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

5 “स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपधारा के खंड (vii) के परंतुक और उपधारा (2) के खंड (v) के प्रयोजनों के लिए उसमें निर्दिष्ट लेखा, खंड (vii) के अधीन डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के उपबंध की बाबत केवल एक लेखा होगा और ऐसा लेखा सभी प्रकार के अग्रिमों, जिनके अंतर्गत ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिम भी हैं, से संबंधित होगा;”;

(ख) खंड (xv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

10 ‘(xvi) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अपने कारबार के दौरान किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों के संबंध में संदत्त वस्तु संव्यवहार कर के बराबर रकम, यदि ऐसे कराधेय वस्तु संव्यवहारों से उद्भूत आय को “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन संगणित आय में सम्मिलित किया जाता हो ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “वस्तु संव्यवहार कर” और “कराधेय वस्तु संव्यवहार” पदों का वही अर्थ होगा जो वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 में क्रमशः उनका है ।’।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) में, उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2014 धारा 40 का संशोधन।
15 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) (अ) ऐसा स्वामिस्व, अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस, विशेषाधिकार फीस, सेवा प्रभार या कोई अन्य फीस या प्रभार, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसका अनन्य रूप से राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार उपक्रम पर उद्ग्रहण किया जाता है, संदत्त कोई रकम; या

20 (आ) ऐसी कोई रकम जो राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार उपक्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनियोजित की जाती है।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार उपक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(i) राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम ;

(ii) ऐसी कोई कंपनी, जिसमें पचास प्रतिशत से अधिक समादत्त साधारण शेयर पूंजी राज्य सरकार द्वारा धारित की जाती है ;

25 (iii) ऐसी कोई कंपनी, जिसमें पचास प्रतिशत से अधिक समादत्त साधारण शेयर पूंजी, खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट सत्ता द्वारा (चाहे एकल रूप से या साथ मिलाकर) धारित की जाती है ;

30 (iv) ऐसी कोई कंपनी या निगम, जिसमें राज्य सरकार के पास अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति करने या प्रबंधन या नीति विषयक विनिश्चयों पर नियंत्रण रखने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसके अंतर्गत उसकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयर धारक-करारों या मतदान करारों के आधार पर या किसी अन्य रीति में अधिकार है ;

(v) राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित अथवा गठित या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन कोई प्राधिकरण, बोर्ड या संस्था या निकाय ;”।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 43ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, नई धारा 43गक का अंतःस्थापन।
अर्थात् :—

35 “43गक. (1) जहां किसी निर्धारिती द्वारा ऐसी किसी आस्ति का (पूंजी आस्ति से भिन्न), जो भूमि या भवन या दोनों हो, अंतरण करने के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत ऐसा प्रतिफल, किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे अंतरण की बाबत स्टॉप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए अंगीकृत या निर्धारित या निर्धार्य मूल्य से कम है, तो इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित या निर्धार्य मूल्य, ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा ।

कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध।

40 (2) धारा 50ग की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन अंगीकृत या निर्धारित या निर्धार्य मूल्य के अवधारण के संबंध में लागू होंगे ।

45 (3) जहां किसी आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल का मूल्य नियत करने संबंधी करार की तारीख और आस्ति के ऐसे अंतरण के रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक ही नहीं है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट मूल्य को, करार की तारीख को, ऐसे अंतरण की बाबत स्टॉप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धार्य मूल्य के रूप में लिया जाएगा ।

(4) उपधारा (3) के उपबंध केवल ऐसे किसी मामले में लागू होंगे, जहां प्रतिफल की रकम या उसका कोई भाग आस्ति के अंतरण संबंधी करार की तारीख को या उसके पूर्व नकद से भिन्न किसी ढंग से प्राप्त हुआ है ।”।

धारा 56 का संशोधन।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में:—

(I) खंड (vii) के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2014 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) कोई स्थावर संपत्ति,—

(i) प्रतिफल के बिना, जिसका स्टांप शुल्क मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, ऐसी संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य ;

(ii) उस प्रतिफल के लिए, जो संपत्ति के स्टांप शुल्क मूल्य से पचास हजार रुपए से अधिक रकम तक कम है, ऐसी संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है :

परंतु जहां स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल की रकम नियत करने के करार की तारीख और रजिस्ट्रीकरण तारीख एक नहीं है, वहां इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए करार की तारीख को स्टांप शुल्क मूल्य लिया जा सकेगा:

परंतु यह और कि उक्त परंतुक केवल ऐसे किसी मामले में लागू होगा जहां उसमें निर्दिष्ट प्रतिफल की रकम या उसके किसी भाग का, ऐसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए करार की तारीख को या उसके पूर्व नकद से भिन्न किसी ढंग द्वारा संदाय किया गया है ;”।

(II) खंड (viiख) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में “स्पष्टीकरण 1” शब्द और अंक के स्थान पर “स्पष्टीकरण” शब्द रखा जाएगा।

धारा 80ग का संशोधन।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 80ग की उपधारा (3क) में, स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु जहां 1 अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात् जारी की गई बीमा पालिसी ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन के बीमा के लिए है, जो,—

(क) धारा 80प में यथापरिभाषित कोई निःशक्त व्यक्ति या गंभीर निःशक्त व्यक्ति है ; या

(ख) धारा 80घघख के अधीन बनाए गए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट रोग या व्याधि से पीड़ित है,

वहां इस उपधारा के उपबंधों का प्रभाव यह होगा मानो “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “पन्द्रह प्रतिशत” शब्द रख दिए गए हैं।’।

धारा 80गगछ का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगछ में, 1 अप्रैल, 2014 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) “सूचीबद्ध साधारण शेयर अर्जित किए हैं” शब्दों के स्थान पर, “सूचीबद्ध साधारण शेयर या किसी सूचीबद्ध साधारण शेयरोन्मुख निधि की यूनिटें अर्जित की हैं” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “ऐसे साधारण शेयरों” शब्दों के पश्चात्, “या यूनिटों” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें सूचीबद्ध साधारण शेयरों या साधारण शेयरोन्मुख निधि की सूचीबद्ध यूनिटों को प्रथमतः अर्जित किया गया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले तीन क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों को अनुज्ञात की जाएगी।”;

(ग) उपधारा (3) में,—

(अ) खंड (i) में, “दस लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “बारह लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (iii) में, “ऐसे साधारण शेयरों” शब्दों के पश्चात्, “या साधारण शेयरोन्मुख निधि की सूचीबद्ध यूनिटों” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “साधारण शेयरोन्मुख निधि” का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (38) में उसका है।’।

धारा 80घ का संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 80घ की उपधारा (2) के खंड (क) में, “केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम” शब्दों के पश्चात्, “या ऐसी अन्य स्कीम, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए” शब्द 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 80डड का अंतःस्थापन।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 80ड के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“80डड.(1) किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि हो, कुल आय की संगणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उसके द्वारा किसी आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण पर संदेय ब्याज की कटौती की जाएगी।

आवासीय गृह संपत्ति के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज की बाबत कटौती।

5 (2) उपधारा (1) के अधीन कटौती एक लाख रुपए से अधिक की नहीं होगी और व्यष्टि की 1 अप्रैल, 2014 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी और ऐसे किसी मामले में, जहां उक्त निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय ब्याज एक लाख रुपए से कम है तो अतिशेष रकम 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में अनुज्ञात की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :—

10 (i) ऋण वित्तीय संस्था द्वारा 1 अप्रैल, 2013 को आरंभ और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मंजूर किया गया है ;

(ii) आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के लिए मंजूर की गई ऋण की रकम पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है ;

(iii) आवासीय गृह संपत्ति का मूल्य चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं है ;

(iv) निर्धारिती के स्वामित्व में ऋण मंजूर किए जाने की तारीख को कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं है।

15 (4) जहां इस धारा के अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ब्याज के लिए कटौती अनुज्ञात की जाती है, वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन ऐसे ब्याज की बाबत कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

1949 का 10

20 (क) “वित्तीय संस्था” से ऐसी कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था या कोई आवासीय वित्त कंपनी भी है ;

(ख) “आवासीय वित्त कंपनी” से भारत में आवासीय प्रयोजनों के लिए मकानों के सन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारखाने करने के मुख्य उद्देश्य से भारत में बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत ऐसी कोई पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है।

25 14. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (1) के खंड (i) में, “या उपखंड (iii)कख)” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “या उपखंड (iii)ख)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 80छ का संशोधन।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 80छछ के स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 80छछ का संशोधन।

30 “परंतु नकद रूप में अभिदाय की गई ऐसी किसी राशि के संबंध में इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।”।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 80छछग के स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 80छछग का संशोधन।

“परंतु नकद रूप में अभिदाय की गई ऐसी किसी राशि के संबंध में इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।”।

35 17. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iv) में, “31 मार्च, 2013” अंकों और शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः “31 मार्च, 2014” अंक और शब्द, 1 अप्रैल, 2014 से रखे जाएंगे।

धारा 80झक का संशोधन।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 80जकक में, 1 अप्रैल, 2014 से,—

धारा 80जकक का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

40 “(1) जहां किसी निर्धारिती की, जो भारतीय कंपनी है, सकल कुल आय में किसी कारखाने में माल के विनिर्माण से व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी पूर्ववर्ष में, तीन निर्धारण वर्षों के लिए, जिसके अंतर्गत वह निर्धारण वर्ष भी है, जो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत है जिसमें ऐसा नियोजन दिया गया है, निर्धारिती द्वारा उस कारखाने में नियोजित नए नियमित कर्मचारों को संदत्त अतिरिक्त मजदूरी के तीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।”;

(ii) उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

45 “(क) यदि कारखाने को किसी अन्य विद्यमान सत्ता से अलग या अंतरित किया जाता है या निर्धारिती कंपनी द्वारा उसको किसी अन्य कंपनी के साथ उसके समामेलन के परिणामस्वरूप अर्जित किया जाता है ;”;

(iii) स्पष्टीकरण में,—

(क) खंड (i) के परंतुक में, “उपक्रम” शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, “कारखाने” शब्द रखा जाएगा ;

(iv) खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(iv) “कारखाना” पद का वही अर्थ होगा, जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ड) में उसका है ।’

धारा 87 का संशोधन। 19. आय-कर अधिनियम की धारा 87 में, 1 अप्रैल, 2014 से,—

(i) उपधारा (1) में, “धारा 88” शब्द और अंकों के स्थान पर, “धारा 87क, धारा 88” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, “धारा 88” शब्द और अंकों के स्थान पर, “धारा 87क या धारा 88” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

नई धारा 87क का अंतःस्थापन। 20. आय-कर अधिनियम की धारा 87 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय व्यष्टियों की दशा में आय-कर का रिबेट। “87क. ऐसा कोई निर्धारिती, जो भारत में निवासी कोई व्यष्टि है, जिसकी कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है (जैसी इस अध्याय के अधीन कटौतियां अनुज्ञात करने से पूर्व संगणित की गई हैं), अपनी उस कुल आय पर, जिसके लिए वह किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है, आय-कर की रकम से ऐसे आय-कर के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की या दो हजार रुपए की रकम की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती का हकदार होगा ।”

धारा 90 का संशोधन। 21. आय-कर अधिनियम की धारा 90 में,—

(क) उपधारा (2क) का लोप किया जाएगा ; 20

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2क) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अध्याय 10क के उपबंध निर्धारिती को लागू होंगे, चाहे ऐसे उपबंध उसके लिए फायदाप्रद नहीं हैं ।”;

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 25

“(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, भारत के बाहर किसी देश या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का निवासी होने का प्रमाणपत्र उसमें निर्दिष्ट करार के अधीन किसी राहत का दावा करने के लिए आवश्यक होगा किंतु यह कोई पर्याप्त शर्त नहीं होगी ।”।

धारा 90क का संशोधन। 22. आय-कर अधिनियम की धारा 90क में,—

(क) उपधारा (2क) का लोप किया जाएगा ; 30

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2क) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अध्याय 10क के उपबंध निर्धारिती को लागू होंगे, चाहे ऐसे उपबंध उसके लिए फायदाप्रद नहीं हैं ।”;

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 35

“(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का निवासी होने का प्रमाणपत्र उसमें निर्दिष्ट करार के अधीन किसी राहत का दावा करने के लिए आवश्यक होगा किंतु यह कोई पर्याप्त शर्त नहीं होगी।”।

सामान्य परिवर्जन-रोधी नियमों से संबंधित अध्याय 10क का लोप। 23. आय-कर अधिनियम के (वित्त अधिनियम, 2012 की धारा 41 द्वारा यथा अंतःस्थापित) अध्याय 10क का जो सामान्य परिवर्जनरोधी नियमों के संबंध में है, 1 अप्रैल, 2014 से लोप किया जाएगा । 40

नए अध्याय 10क का अंतःस्थापन। 24. आय-कर अधिनियम के अध्याय 10 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय, 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम

95. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी ठहराव को सामान्य परिवर्जन-
अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित किया जा सकेगा और उससे उद्भूत होने वाले कर संबंधित परिणाम का लागू
5 अवधारण इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा । होना।
- स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अध्याय के उपबंध ठहराव में के
किसी उपाय को या उसके किसी भाग को उसी प्रकार लागू किए जा सकेंगे, जैसे वे ठहराव के संबंध में लागू होते
हैं ।
96. (1) किसी अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव से ऐसा ठहराव अभिप्रेत है, जिसका मुख्य प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त अननुज्ञेय परिवर्जन
10 करने का है और,— ठहराव।
- (क) इससे ऐसे अधिकारों या बाध्यताओं का सृजन होता है, जो सामान्यतया असन्निकट रूप से कार्य करने वाले
व्यक्तियों के बीच सृजित नहीं होती हैं ;
- (ख) उसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के उपबंधों का, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, गलत उपयोग या
दुरुपयोग होता है ;
- 15 (ग) इसमें संपूर्णतः या भागतः, वाणिज्यिक सारतत्त्व नहीं है या धारा 97 के अधीन उसके बारे में यह समझा जाता
है कि उसमें वाणिज्यिक सारतत्त्व नहीं है ; या
- (घ) वह ऐसे साधनों द्वारा या ऐसी रीति में किया जाता है या कार्यान्वित किया जाता है, जो सामान्यतया सद्भावी
प्रयोजनों के लिए अपनाए नहीं जाते हैं ।
- (2) ऐसे ठहराव के बारे में, जब तक कि निर्धारिती द्वारा उसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, इस
20 तथ्य के होते हुए भी कि संपूर्ण ठहराव का मुख्य प्रयोजन कोई कर फायदा अभिप्राप्त करने का नहीं है, यह
उपधारणा की जाएगी कि वह कोई कर फायदा अभिप्राप्त करने के मुख्य प्रयोजन के लिए किया गया है या
कार्यान्वित किया गया है, यदि ठहराव में के किसी उपाय या उसके किसी भाग का मुख्य प्रयोजन कर फायदा
अभिप्राप्त करने का है ।
97. (1) किसी ठहराव के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें वाणिज्यिक सारतत्त्व नहीं है, यदि—
- 25 (क) ठहराव का संपूर्ण सारतत्त्व या प्रभाव उसके पृथक्-पृथक् उपायों या उनके किसी भाग से असंगत है या
उससे महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है ; या
- (ख) उसमें निम्नलिखित अंतर्वलित या सम्मिलित हैं—
- (i) राउंड ट्रिप वित्तपोषण ;
- (ii) कोई अनुकूलक पक्षकार ;
- 30 (iii) ऐसे तत्व, जिनका प्रभाव एक-दूसरे को मुजर्राई करने या रद्द करने का है ; या
- (iv) ऐसा कोई संव्यवहार, जो एक या अधिक व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है और उससे ऐसी
निधियों के, जो ऐसे संव्यवहार की विषय-वस्तु है, मूल्य, अवस्थान, स्रोत, स्वामित्व या नियंत्रण के बारे में भ्रम
होता है ; या
- (ग) उसमें ऐसी किसी आस्ति या किसी संव्यवहार का अवस्थान या किसी पक्षकार का निवास-स्थान अंतर्वलित
35 है, जिसका किसी पक्षकार के लिए कर फायदा अभिप्राप्त करने से (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर भी) भिन्न
कोई महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रयोजन नहीं है ; या
- (घ) इसमें किसी पक्षकार के ठहराव के प्रति कारबार जोखिमों या शुद्ध नकद प्रवाहों पर, उस कर फायदे के
कारण हुए माने जा सकने वाले ऐसे किसी प्रभाव के अतिरिक्त, जो (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर भी)
अभिप्राप्त नहीं किया जाएगा, कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है ।
- 40 (2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राउंड ट्रिप वित्तपोषण के अंतर्गत ऐसा कोई ठहराव भी है, जिसमें,—
- (अ) इस बात पर कि क्या राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियों का ठहराव के संबंध में किसी पक्षकार को
अंतरित या उसके द्वारा प्राप्त की गई किन्हीं निधियों से पता लगाया जा सकता है या नहीं ;
- (आ) उस समय या क्रम पर, जिसमें राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियां अंतरित या प्राप्त की जाती
हैं; या

(इ) उन साधनों पर, जिनके द्वारा या रीति पर, जिसमें या उस ढंग पर, जिसके माध्यम से राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियां अंतरित या प्राप्त की जाती हैं,

कोई ध्यान दिए बिना, श्रृंखलाबद्ध संव्यवहारों के माध्यम से—

(क) निधियां, ठहराव के पक्षकारों के बीच अंतरित की जाती हैं ; और

(ख) ऐसे संव्यवहारों का (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर भी) कर फायदा अभिप्राप्त करने से भिन्न कोई 5 महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रयोजन नहीं है ।

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी ठहराव का कोई पक्षकार अनुकूलक पक्षकार होगा, यदि संपूर्ण ठहराव या उसके किसी भाग में उस पक्षकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहभागिता का मुख्य प्रयोजन निर्धारिती के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कर फायदा (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर भी) अभिप्राप्त करने का है, चाहे वह पक्षकार ठहराव के किसी पक्षकार के संबंध में कोई संबंधित व्यक्ति है या नहीं । 10

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अवधारित करते समय कि क्या किसी ठहराव में वाणिज्यिक सारतत्त्व है या नहीं, निम्नलिखित सुसंगत हो सकेगा किन्तु पर्याप्त नहीं होगा, अर्थात् :—

(i) वह अवधि या समय, जिसके लिए ठहराव (जिसके अंतर्गत उसमें के प्रचालन भी हैं) विद्यमान है ;

(ii) ठहराव के अधीन, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, करों के संदाय का तथ्य ;

(iii) यह तथ्य कि ठहराव द्वारा कोई निर्गम माध्यम (जिसके अंतर्गत किसी क्रियाकलाप या कारबार या प्रचालनों 15 का अंतरण भी है) उपलब्ध कराया जाता है ।

अननुज्ञेय परिवर्जन
ठहराव का परिणाम।

98. (1) यदि किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित किया जाता है तो ठहराव के कर संबंधी परिणामों का, जिनके अंतर्गत कर फायदे या किसी कर संधि के अधीन किसी फायदे का प्रत्याख्यान किया जाना भी है, ऐसी रीति में, जो मामले की उन परिस्थितियों में उपयुक्त समझी जाए, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित रूप में भी, किन्तु जो उन तक सीमित न हो, अवधारण किया जाएगा, अर्थात् :— 20

(क) भागतः या संपूर्णतः अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव में के किसी उपाय पर ध्यान न देना, उन्हें संयोजित या पुनःविशेषित करना ;

(ख) अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव को इस प्रकार मानना, मानो उसे किया अथवा कार्यान्वित ही नहीं किया गया था ;

(ग) किसी अनुकूलक पक्षकार पर ध्यान न देना या किसी अनुकूलक पक्षकार और किसी अन्य पक्षकार को एक 25 ही पक्षकार के रूप में मानना ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को, जो एक-दूसरे के संबंध में संबद्ध व्यक्ति हैं, किसी रकम के कर निरूपण को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए एक ही व्यक्ति मानना ;

(ङ) ठहराव के पक्षकारों के बीच—

(i) किसी पूंजीगत प्रकृति या राजस्व की प्रकृति के किसी प्रोद्भवन या प्राप्ति ; या 30

(ii) किसी व्यय, कटौती, राहत या रिबेट,

का पुनःविनिधान करना ; या

(च) (i) ठहराव के किसी पक्षकार के निवास स्थान को ; या

(ii) किसी आस्ति या संव्यवहार की अवस्थिति को,

ठहराव के अधीन यथा उपबंधित निवास-स्थान, किसी आस्ति के अवस्थान या संव्यवहार के अवस्थान से भिन्न किसी 35 स्थान पर मानना ; या

(छ) किसी निगमित संरचना को ध्यान में रखे बिना किसी ठहराव पर विचार करना या उसकी अवेक्षा करना ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी इक्विटी को ऋण या उसके विपर्यय माना जा सकेगा ;

(ii) पूंजीगत प्रकृति के किसी प्रोद्भवन या प्राप्ति को राजस्व की प्रकृति का या उसके विपर्यय माना जा सकेगा; 40 या

(iii) किसी व्यय, कटौती, राहत या रिबेट को पुनःविशेषित किया जा सकेगा ।

99. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, यह अवधारित करने में कि क्या कोई कर फायदा विद्यमान है,—

संबद्ध व्यक्ति और अनुकूलक पक्षकार का निरूपण।

- (i) ऐसे पक्षकारों को, जो एक-दूसरे के संबंध में संबद्ध व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति माना जा सकेगा ;
- (ii) किसी अनुकूलक पक्षकार की अनदेखी की जा सकेगी ;
- (iii) ऐसे अनुकूलक पक्षकार और किसी अन्य पक्षकार को एक ही व्यक्ति माना जा सकेगा ;

5 (iv) किसी निगमित संरचना को ध्यान में रखे बिना ठहराव पर विचार या उसकी अवेक्षा की जा सकेगी।

100. इस अध्याय के उपबंध कर दायित्व के अवधारण के संबंध में किसी अन्य आधार के अतिरिक्त या उसके स्थान पर लागू किए जाएंगे । अध्याय का लागू होना।

101. इस अध्याय के उपबंधों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी सीति से, जो विहित की जाए, लागू किया जाएगा । मार्गदर्शक सिद्धांतों का विरचित किया जाना।

10 102. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(1) “ठहराव” से किसी संपूर्ण संव्यवहार, प्रचालन, स्कीम, करार या समझौते या उसके किसी भाग के संबंध में, चाहे वह प्रवर्तनीय हो या नहीं, कोई उपाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसे संव्यवहार, प्रचालन स्कीम, करार या समझौते में किसी संपत्ति का अन्यसंक्रामण भी है ।

(2) “आस्ति” के अंतर्गत किसी प्रकार की संपत्ति या अधिकार है ;

15 (3) “फायदे” के अंतर्गत किसी प्रकार का, चाहे मूर्त रूप में हो या अमूर्त रूप में, कोई संदाय भी है ;

(4) “संबद्ध व्यक्ति” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति से संबद्ध है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) व्यक्ति का कोई नातेदार, यदि ऐसा व्यक्ति कोई व्यक्ति है ;

(ख) यदि व्यक्ति कोई कंपनी है तो कंपनी का कोई निदेशक या ऐसे निदेशक का कोई नातेदार ;

20 (ग) यदि व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय है तो ऐसी किसी फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय का कोई भागीदार या सदस्य या ऐसे भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(घ) यदि व्यक्ति कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है तो हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य या ऐसे सदस्य का कोई नातेदार ;

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या ऐसे व्यक्ति का कोई नातेदार;

25 (च) कोई कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसका व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय या कुटुंब का कोई निदेशक, भागीदार या सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(छ) ऐसी कोई कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसके निदेशक, भागीदार या सदस्य का व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कुटुंब या कोई नातेदार ;

30 (ज) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो कोई कारबार करता है, यदि,—

(i) उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति है या ऐसे व्यक्ति के किसी नातेदार का उस अन्य व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है ; या

(ii) उस व्यक्ति का, जो कोई कंपनी, फर्म, व्यक्ति-संगम, व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है या ऐसी कंपनी, फर्म, व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय या कुटुंब के किसी निदेशक, भागीदार या सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य के किसी नातेदार का उस अन्य व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है ;

(5) “निधि” के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) कोई नकदी ;

40 (ख) नकदी के समतुल्य ; और

(ग) नकदी या नकदी के समतुल्य को प्राप्त करने या उसका संदाय करने का कोई अधिकार या बाध्यता ;

(6) “पक्षकार” के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या स्थायी स्थापन भी है, जो किसी ठहराव में सम्मिलित होता है या भाग लेता है ;

(7) “नातेदार” का वही अर्थ होगा जो धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण में उसका है ;

(8) ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका कारबार में सारवान् हित है, यदि—

(क) ऐसे किसी मामले में, जहां कारबार किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, ऐसा व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय, बीस प्रतिशत या अधिक मतदान शक्ति वाले साधारण शेयरों का फायदाग्राही स्वामी है ; या

(ख) किसी अन्य मामले में, ऐसा व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय, ऐसे कारबार के लाभों के बीस 5 प्रतिशत या अधिक का फायदाप्रद रूप से हकदार है ;

(9) “उपाय” के अंतर्गत कोई उपाय या कोई कार्रवाई, विशिष्टतया ठहराव में कोई विशिष्ट चीज या वस्तु का व्यवहार करने या उसे प्राप्त करने की दृष्टि से की गई कोई श्रृंखला भी है ;

(10) “कर फायदे” में सुसंगत पूर्ववर्ष या किसी अन्य पूर्ववर्ष में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(क) इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या अन्य रकम में कमी या उसका परिवर्जन या आस्थगन ; या 10

(ख) इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य रकम के प्रतिदाय में कोई बढ़ोतरी ; या

(ग) कर या अन्य रकम में ऐसी कमी या परिवर्जन या आस्थगन, जो किसी कर संधि के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन संदेय होती ; या

(घ) कर संधि के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य रकम के प्रतिदाय में कोई बढ़ोतरी; या

(ङ) कुल आय में कमी; या

15

(च) हानि में बढ़ोतरी ;

(11) “कर संधि” से धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार अभिप्रेत है।।

धारा 115क का संशोधन।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (ख) में, उपखंड (अ), उपखंड (अअ), उपखंड (आ) और उपखंड (आआ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2014 से रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“अ) कुल आय में सम्मिलित स्वामिस्व के रूप में आय पर, यदि कोई हो, पच्चीस प्रतिशत की दर पर परिकलित 20 आय-कर की रकम ;

(आ) तकनीकी सेवाओं के लिए, कुल आय में सम्मिलित फीस के रूप में आय पर, यदि कोई हो, पच्चीस प्रतिशत की दर पर परिकलित आय-कर की रकम ; और”।

धारा 115खखघ का संशोधन।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघ की उपधारा (1) में, “1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले” अंकों और शब्दों के पश्चात् “या 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले” शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किए जाएंगे। 25

धारा 115ण का संशोधन।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1क) के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 जून, 2013 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) वित्तीय वर्ष के दौरान देशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश की रकम को, यदि कोई हो, घटा दिया जाएगा, यदि ऐसा लाभांश उसकी समनुषंगी से प्राप्त होता है और,—

(क) जहां ऐसी समनुषंगी कोई देशी कंपनी है, समनुषंगी ने ऐसे कर का, जो इस धारा के अधीन ऐसे लाभांश 30 पर संदेय है, संदाय किया है ; या

(ख) जहां ऐसी समनुषंगी कोई विदेशी कंपनी है वहां ऐसे लाभांश पर कर धारा 115खखघ के अधीन देशी कंपनी द्वारा संदेय है :

परंतु लाभांश की वही रकम एक से अधिक बार घटाने के लिए गणना में नहीं ली जाएगी ;”।

नए अध्याय 12घक का अंतःस्थापन।

28. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12घ के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया 35 जाएगा, अर्थात् :—

‘अध्याय 12घक

शेयरों के क्रय द्वारा वापस लिए जाने के लिए देशी कंपनी की वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

शेयर धारकों को वितरित आय पर कर।

115थक. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारण वर्ष के लिए 40 किसी देशी कंपनी की कुल आय की बाबत प्रभार्य आय-कर के अतिरिक्त कंपनी द्वारा किसी शेयर धारक से शेयरों (जो किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर नहीं हैं) के क्रय द्वारा वापस लिए जाने पर वितरित आय की किसी

रकम पर कर प्रभारित किया जाएगा और ऐसी कंपनी वितरित आय पर बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर संदत्त करने के लिए दायी होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

1956 का 1 5 (i) “क्रय द्वारा वापस लिया जाना” से कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77क के उपबंधों के अनुसार अपने स्वयं के शेयरों का क्रय किया जाना अभिप्रेत है ;

(ii) “वितरित आय” से कंपनी द्वारा शेयरों के क्रय द्वारा वापस लिए जाने पर संदत्त प्रतिफल, जिसमें से कंपनी द्वारा ऐसे शेयरों के निर्गमन के लिए प्राप्त रकम को घटा दिया गया हो, अभिप्रेत है ।

(2) इस बात के होते हुए भी कि देशी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित अपनी कुल आय पर कोई आय-कर संदेय नहीं है, उपधारा (1) के अधीन वितरित आय पर कर ऐसी कंपनी द्वारा संदेय होगा ।

10 (3) देशी कंपनी का प्रधान अधिकारी और कंपनी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शेयरों के क्रय द्वारा वापस लिए जाने पर शेयर धारक को किसी प्रतिफल का संदाय किए जाने की तारीख से चौदह दिन के भीतर केंद्रीय सरकार के जमा खाते में कर का संदाय करने के लिए दायी होगी ।

15 (4) कंपनी द्वारा वितरित आय पर कर, उक्त आय की बाबत कर का अंतिम संदाय माना जाएगा और इस प्रकार संदत्त कर की रकम की बाबत कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए किसी अतिरिक्त प्रत्यय का दावा नहीं किया जाएगा ।

(5) ऐसी आय की बाबत, जिस पर उपधारा (1) के अधीन कर या उस पर कर प्रभारित किया गया है, कंपनी या किसी शेयर धारक को इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

20 115थक. जहां देशी कंपनी का प्रधान अधिकारी या कंपनी धारा 115थक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट वितरित आय पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग को, उस धारा की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर संदत्त करने में असफल रहता या रहती है, वहां वह अंतिम तारीख के, जिसको ऐसा कर संदेय था, ठीक पश्चात् की तारीख को आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको कर वस्तुतः संदत्त किया गया था, समाप्त होने वाली अवधि के लिए ऐसे कर की रकम पर प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा या होगी ।

25 115थग. यदि किसी देशी कंपनी का कोई प्रधान अधिकारी या कंपनी धारा 115थक के उपबंधों के अनुसार वितरित आय पर कर संदत्त नहीं करता या करती है, तो उसे उसके द्वारा संदेय कर की रकम की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा और इस अधिनियम के आय-कर के संग्रहण और उसकी वसूली से संबंधित सभी उपबंध लागू होंगे ।’

29. आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (2) में 1 जून, 2013 से,—

धारा 115द का संशोधन।

(क) खंड (ii) में, “साढ़े बारह प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “पच्चीस प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ;

30 (ख) उपखंड (iii) के पश्चात् और परंतुक के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु जहां कोई आय किसी अनिवासी (जो कोई कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी को अवसंरचना ऋण निधि स्कीम के अधीन पारस्परिक निधि द्वारा वितरित की जाती है, वहां पारस्परिक निधि इस प्रकार वितरित आय पर पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने का दायी होगा : ”;

(ग) परंतुक में “परंतु” शब्द के स्थान पर, “परंतु यह और कि” शब्द रखे जाएंगे ;

35 (घ) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “प्रशासक” और “विनिर्दिष्ट कंपनी” का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनका है ;

(ii) “अवसंरचना ऋण निधि स्कीम” का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के विनियम 49ठ के खंड (1) में उसका है ।’

1992 का 15

40

30. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12ड के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

नए अध्याय 12डक का अंतःस्थापन।

प्रतिभूतिकरण न्यासों द्वारा वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

विनिधानकर्ताओं को वितरित आय पर कर ।

115नक. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा अपने विनिधानकर्ताओं को वितरित आय की कोई रकम कर से प्रभार्य होगी और ऐसा प्रतिभूतिकरण न्यास ऐसी वितरित आय पर अतिरिक्त आय-कर का—

5

(i) किसी व्यक्ति को, जो कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, वितरित आय पर पन्द्रह प्रतिशत;

(ii) किसी अन्य व्यक्ति को वितरित आय पर तीस प्रतिशत,

की दर पर संदाय करने के लिए दायी होगा :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को, वितरित किसी आय की बाबत लागू नहीं होगी जिसके मामले में उसकी प्रकृति और स्रोत को विचार में न लेते हुए इस अधिनियम के अधीन आय-कर से प्रभार्य नहीं है ।

10

(2) प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति केंद्रीय सरकार के जमा खाते में ऐसी आय के वितरण या संदाय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की तारीख से चौदह दिन के भीतर कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(3) प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को या उसके पूर्व विहित आय-कर प्राधिकारी को विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान विनिधानकर्ताओं को वितरित आय की रकम के ब्यौरे, उस पर संदत्त कर और ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

15

(4) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन कोई कटौती प्रतिभूतिकरण न्यास को ऐसी आय की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी जो उपधारा (1) के अधीन कर से प्रभारित की गई है ।

20

कर का संदाय न करने के लिए संदेय ब्याज।

115नख. जहां प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और प्रतिभूतिकरण न्यास धारा 115नक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपूर्ण कर का या उसके किसी भाग का उस धारा की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर संदाय करने में असफल रहता है तो वह ऐसे कर की रकम पर उस तारीख के, जिसको ऐसा कर संदेय था, ठीक पश्चात् की तारीख को आरंभ होने वाली और उस तारीख तक, जिसको कर का वस्तुतः संदाय किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

25

प्रतिभूतिकरण न्यास का व्यापारिकता निर्धारित होना।

115नग. यदि प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति और प्रतिभूतिकरण न्यास धारा 115नक की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कर का संदाय नहीं करता है तो वह उसके द्वारा संदेय कर की रकम की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारित समझा जाएगा और इस अधिनियम के आय-कर के संग्रहण और वसूली से संबंधित सभी उपबंध लागू होंगे ।

30

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विनिधानकर्ता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा जारी की गई किसी प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत या प्रतिभूतियों का धारक है;

(ख) “प्रतिभूतियां” से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण संबंधी मार्ग-दर्शक सिद्धांतों में यथा निर्दिष्ट किसी विशेष प्रयोज्य माध्यम द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं;

35

(ग) “प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत” का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लोक प्रस्थापना और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों का सूचीबद्धकरण) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (घ) में उसका है ;

1992 का 15
1956 का 42

(घ) “प्रतिभूतिकरण न्यास” से ऐसा कोई न्यास अभिप्रेत है जो—

40

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लोक प्रस्थापना और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों का सूचीबद्धकरण) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (घ) में यथा परिभाषित “विशेष प्रयोज्य सुभिन्न सत्ता” है और उक्त विनियमों के अधीन विनियमित किया जाता है ; या

1992 का 15
1956 का 42

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा परिभाषित “विशेष प्रयोज्य माध्यम” है और विनियमित किया जाता है,

ऐसी शर्तें पूरी करता है, जो विहित की जाएं।¹

31. आय-कर अधिनियम की धारा 132ख के स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा धारा 132ख का संशोधन।
5 और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि “विद्यमान दायित्व” के अंतर्गत अध्याय 17 के भाग ग के उपबंधों के अनुसार संदेय अग्रिम कर नहीं आता है।¹।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण में खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड धारा 139 का संशोधन।
10 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) धारा 140क के उपबंधों के अनुसार संदेय कर ब्याज सहित, यदि कोई हो, की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को या उसके पूर्व संदत्त कर दिया गया है;”।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2क) में “लेखाओं की प्रकृति और जटिलता” शब्दों के पश्चात्, धारा 142 का संशोधन।
“लेखाओं की मात्रा, लेखाओं की शुद्धता के बारे में शंकाओं, लेखाओं में संव्यवहारों की बहुलता या कारबार क्रियाकलाप की विशिष्ट प्रकृति” शब्द 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 144खक (वित्त अधिनियम, 2012 की धारा 62 द्वारा यथा अंतःस्थापित) का धारा 144खक का लोप।
1 अप्रैल, 2014 से लोप किया जाएगा।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 144ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, नई धारा 144खक का अंतःस्थापन।
अर्थात् :—

20 “144खक. (1) यदि, निर्धारण अधिकारी का, उसके समक्ष निर्धारण या पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, उपलब्ध सामग्री और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, यह विचार है कि किसी ठहराव को अध्याय 10क के अर्थात्गत किसी अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित करना और ऐसे किसी ठहराव का परिणाम अवधारित करना आवश्यक है तो वह इस संबंध में आयुक्त को निर्देश कर सकेगा।

(2) यदि आयुक्त की, उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश प्राप्त होने पर, यह राय है कि अध्याय 10क के उपबंधों का अवलंब लेना अपेक्षित है तो वह एक सूचना, उसमें ऐसी राय के कारणों और आधार को उपवर्णित करते हुए निर्धारिती को आक्षेप, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए और निर्धारिती को साठ दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सुनवाई का अवसर देने के लिए जारी करेगा।

(3) यदि निर्धारिती उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना के प्रति कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं करता है तो आयुक्त ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा करने के संबंध में ठीक समझे।

(4) यदि निर्धारिती प्रस्तावित कार्रवाई के प्रति आक्षेप करता है और आयुक्त का, मामले में निर्धारिती की सुनवाई करने के पश्चात् निर्धारिती के स्पष्टीकरण के प्रति समाधान नहीं होता है तो वह उस मामले में ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा के प्रयोजन के लिए अनुमोदनकर्ता पैनल को निर्देश करेगा।

(5) यदि आयुक्त का, निर्धारिती की सुनवाई करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि अध्याय 10क के उपबंधों का अवलंब नहीं लिया जाए तो वह लिखित आदेश द्वारा उसकी संसूचना, निर्धारिती को एक प्रति के साथ, निर्धारण अधिकारी को देगा।

(6) अनुमोदनकर्ता पैनल, उपधारा (4) के अधीन आयुक्त से निर्देश प्राप्त होने पर, ठहराव को अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा की बाबत, जिसके अंतर्गत उस पूर्ववर्ष या उन पूर्ववर्षों को विनिर्दिष्ट करना भी है, जिनके लिए ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में ऐसी घोषणा लागू होगी, ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठीक समझे।

(7) उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश तब तक नहीं जारी किया जाएगा जब तक ऐसे निदेशों के संबंध में, जो, यथास्थिति, निर्धारिती के हित या राजस्व के हित के प्रतिकूल हों, निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(8) अनुमोदनकर्ता पैनल, उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश जारी करने से पूर्व,—

(i) यदि उसकी यह राय है कि मामले में कोई और जांच आवश्यक है, तो आयुक्त को ऐसी जांच करने या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी द्वारा जांच कराने तथा ऐसी जांच के परिणामों वाली एक रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ; या

(ii) मामले से संबंधित ऐसे अभिलेखों को मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे; या

(iii) निर्धारित से ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह निदेश दे। 5

(9) यदि अनुमोदनकर्ता पैनल के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद है तो उस मुद्दे का विनिश्चय सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा ।

(10) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (3) के अधीन, आयुक्त या उपधारा (6) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल के निदेशों की प्राप्ति पर, ऐसे निदेशों और अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाहियों को पूरा करने की कार्यवाही आरंभ करेगा । 10

(11) यदि उपधारा (6) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश में यह विनिर्दिष्ट है कि ऐसे ठहराव की अनुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा ऐसे किसी पूर्ववर्ष से भिन्न किसी पूर्ववर्ष के लिए लागू होती है, जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाहियां तात्पर्यित हैं, तो निर्धारण अधिकारी ऐसे अन्य पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष की किसी निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियों को पूरा करते समय ऐसे निदेशों और अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार ऐसा करेगा और उसके लिए सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में उस मुद्दे पर नए सिरे से निदेश लेना आवश्यक नहीं होगा। 15

(12) यदि अध्याय 10क के उपबंधों के अधीन आदेश में कोई कर परिणाम अवधारित किए गए हैं तो निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण या पुनःनिर्धारण संबंधी कोई आदेश, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(13) उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश उस मास के, जिसमें उपधारा (4) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा 20 निर्देश प्राप्त किया गया था, अंत से छह मास की अवधि के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

(14) उपधारा (6) के अधीन अनुमोदनकर्ता द्वारा जारी निदेश निम्नलिखित पर आबद्धकर होंगे—

(i) निर्धारित ; और

(ii) आयुक्त और उसके अधीनस्थ आय-कर प्राधिकारी,

और अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन ऐसे निदेशों के विरुद्ध 25 कोई अपील नहीं की जाएगी ।

(15) केंद्रीय सरकार, इस धारा के प्रयोजनों के लिए यथावश्यक एक या अधिक अनुमोदनकर्ता पैनल गठित कर सकेगी और प्रत्येक पैनल में तीन सदस्य, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, होंगे ।

(16) अनुमोदनकर्ता पैनल का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और—

(i) एक सदस्य मुख्य आय-कर आयुक्त की पंक्ति से अन्यून भारतीय राजस्व सेवा का सदस्य होगा ; और 30

(ii) एक सदस्य प्रत्यक्ष-कर, कारबार लेखा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पद्धतियों जैसे मामलों का विशेष ज्ञान रखने वाला शिक्षाविद या विद्वान होगा ।

(17) अनुमोदनकर्ता पैनल की अवधि साधारणतः एक वर्ष होगी और समय-समय पर तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाई जा सकेगी।

(18) अनुमोदनकर्ता पैनल का अध्यक्ष और सदस्य पैनल को किए गए निर्देशों पर विचार करने के लिए, जब कभी 35 अपेक्षित हो, बैठक करेंगे और उन्हें ऐसा पारिश्रमिक दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(19) इस धारा के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल को प्रदत्त शक्तियों के अलावा उसके पास वे शक्तियां होंगी, जो धारा 245प के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण में निहित हैं ।

(20) बोर्ड अनुमोदनकर्ता पैनल को उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जो अधिनियम के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल की शक्तियों के दक्षतापूर्ण प्रयोग और कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हैं । 40

(21) बोर्ड, अनुमोदनकर्ता पैनल के दक्ष कार्यकरण और उपधारा (4) के अधीन प्राप्त निर्देशों के शीघ्र निपटान के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगा ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (13) में निर्दिष्ट अवधि की गणना में, निम्नलिखित को अपवर्जित किया जाएगा :—

(i) उस तारीख, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट करार के अधीन सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा आयुक्त को जांच कराए जाने का पहला निदेश जारी किया गया है, से आरंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको इस प्रकार अनुरोध की अंतिम सूचना अनुमोदनकर्ता पैनल को प्राप्त होती है समाप्त होने वाली अवधि, या एक वर्ष, जो भी कम हो ;

(ii) वह अवधि जिसके दौरान अनुमोदनकर्ता पैनल की कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोकी गई हो :

परंतु जहां पूर्वोक्त समय या अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात् अनुमोदनकर्ता पैनल को निदेश जारी करने के लिए उपलब्ध अवधि साठ दिन से कम है वहां ऐसी शेष अवधि का विस्तार साठ दिनों तक किया जाएगा और छह मास की पूर्वोक्त अवधि को तदनुसार विस्तारित किया गया माना जाएगा ।”।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 144ग में,—

धारा 144ग का संशोधन ।

(क) उपधारा (14क) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (14) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(14क) इस धारा के उपबंध निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 144खक की उपधारा (12) में यथा उपबंधित आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से पारित किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश को लागू नहीं होंगे ।”।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 में,—

धारा 153 का संशोधन ।

(क) खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2013 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराने का निदेश देता है, प्रारंभ होने वाली और—

(क) उस अंतिम तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको निर्धारिती से ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट उस उपधारा के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ; या

(ख) जहां ऐसे निदेश को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको ऐसे आदेश को अपास्त किए जाने संबंधी ऐसा निदेश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है ; या”;

(ख) खंड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2013 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(viii) उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए कोई निर्देश या निर्देशों में से प्रथम निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको अनुरोध की गई अंतिम सूचना प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या एक वर्ष की अवधि, इनमें से जो भी कम हो, ”;

(ग) खंड (ix) का लोप किया जाएगा ;

(घ) खंड (viii) के अंत में “या” शब्द और खंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ix) उस तारीख से, जिसको धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किए जाने के लिए कोई निर्देश प्राप्त किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि, ”।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख में,—

धारा 153ख का संशोधन।

(क) खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2013 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराने का निदेश देता है, प्रारंभ होने वाली और—

(क) उस अंतिम तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको निर्धारिती से ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट उस उपधारा के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ; या

(ख) जहां ऐसे निदेश को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको ऐसे आदेश को अपास्त किए जाने संबंधी ऐसा निदेश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है ; या”;

(ख) खंड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2013 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(viii) उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए कोई निर्देश या निर्देशों में से प्रथम निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको अनुरोध की गई अंतिम सूचना प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या एक वर्ष की अवधि, इनमें से जो भी कम हो,”;

(ग) खंड (ix) का लोप किया जाएगा ;

(घ) खंड खंड (viii) के अंत में “या” शब्द और (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ix) उस तारीख से, जिसको धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किए जाने के लिए निर्देश प्राप्त किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि,”।

धारा 153घ का संशोधन। 39. आय-कर अधिनियम की धारा 153घ में, 1 अप्रैल, 2016 से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां धारा 144खक की उपधारा (12) के अधीन आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, निर्धारण अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, निर्धारण या पुनःनिर्धारण आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है।”।

धारा 167ग का संशोधन। 40. आय-कर अधिनियम की धारा 167ग में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “देय कर” पद के अंतर्गत अधिनियम के अधीन संदेय शास्ति, ब्याज या कोई अन्य राशि भी है।’।

धारा 179 का संशोधन। 41. आय-कर अधिनियम की धारा 179 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “देय कर” पद के अंतर्गत अधिनियम के अधीन संदेय शास्ति, ब्याज या कोई अन्य राशि भी है।’।

नई धारा 194झक का अंतःस्थापन। 42. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2013 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘194झक. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो कोई अंतरिती है और जो किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अंतरण के लिए प्रतिफल के रूप में किसी राशि का निवासी अंतरक को (धारा 194ठक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न) संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि अंतरक के खाते में जमा कराते समय या ऐसी राशि का नकद में या कोई चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य रीति में, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करते समय, ऐसी राशि के एक प्रतिशत के बराबर रकम की, उस पर आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती वहां नहीं की जाएगी जहां किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल पचास लाख रुपए से कम है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कृषि भूमि” से भारत में ऐसी कृषि भूमि अभिप्रेत है जो धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (iii) की मद (क) और मद (ख) में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में स्थित भूमि न हो ;

(ख) “स्थावर संपत्ति” से कोई भूमि (कृषि भूमि से भिन्न) या कोई भवन या किसी भवन का भाग अभिप्रेत है।

धारा 194ठग का संशोधन। 43. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठग की उपधारा (2) में 1 जून, 2013 से,—

(क) उपखंड (ii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु जहां किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी ने ऐसे अभिहित खाते में ऐसी विदेशी करेंसी में कोई धनराशि जमा की है जिसके माध्यम से रुपए में यथा संपरिवर्तित ऐसी रकम का उपयोग,

यथास्थिति, अनिवासी या विदेशी कंपनी द्वारा भारत में विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा जारी किन्हीं दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के अभिदाय के लिए किया जाता है, वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा लिए गए ऐसे उधार को विदेशी करेंसी में किया गया समझा जाएगा ;”;

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (क) को उसके खंड (कक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड के पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(क) “अभिहित खाता” से किसी बैंक में किसी व्यक्ति का ऐसा खाता अभिप्रेत है जो केवल विदेशी करेंसी में धन को जमा करने और ऐसे धन का उसके द्वारा जारी दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों में अभिदाय के लिए किसी विनिर्दिष्ट कंपनी को संदाय करने के उपयोग करने के प्रयोजन के लिए खोला गया है ;’।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 245द में,—

धारा 245द का संशोधन।

10 (i) खंड (क) में,—

(I) उपखंड (iv) का लोप किया जाएगा ;

(II) उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

15 “(iv) प्राधिकरण द्वारा इस बारे में कोई अवधारण या विनिश्चय कि क्या ऐसा कोई ठहराव, जो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो कोई निवासी या अनिवासी है, किया जाना प्रस्तावित है, अध्याय 10क में यथानिर्दिष्ट कोई अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव है या नहीं :”;

(ii) खंड (ख) में,—

(I) उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा ;

(II) उपखंड (iii) में, अंत में आने वाले “या” शब्द के स्थान पर “और” शब्द रखा जाएगा;

(III) उपखंड (iii) में, अंत में आने वाले “और” शब्द के स्थान पर “या” शब्द 1 अप्रैल, 2015 से रखा जाएगा;

20 (IV) उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) खंड (क) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट है ; और”।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 245द की उपधारा (2) के परंतुक के खंड (iii) में,—

धारा 245द का संशोधन।

(क) “या धारा 245द के खंड (ख) के उपखंड (iii) में आने वाले किसी आवेदक” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

25 (ख) “धारा 245द के खंड (ख) के उपखंड (iii) के अंतर्गत आने वाले किसी निवासी आवेदक के सिवाय” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, “या धारा 245द के खंड (ख) के उपखंड (iii) के अंतर्गत आने वाले किसी निवासी आवेदक या धारा 245द के खंड (ख) के उपखंड (iii) में आने वाले किसी आवेदक के सिवाय” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे ।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) में,—

धारा 246क का संशोधन।

30 (i) खंड (क) में,—

(I) “या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

35 (II) खंड (क) में, “पैनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश” शब्दों के पश्चात्, “या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में,—

(I) “या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

40 (II) खंड (ख) में, “पैनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश” शब्दों के पश्चात्, “या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (खक) में,—

(I) “या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(II) खंड (खक) में, “अनुसरण में पारित आदेश के सिवाय” शब्दों के स्थान पर, “अनुसरण में पारित आदेश या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश के सिवाय” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2016 से रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (ग) में,—

(I) “सिवाय जहां यह धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश की बाबत है” शब्दों, अंकों, 5 अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(II) खंड (ग) में, “उक्त धाराओं में से किसी के अधीन” शब्दों के पश्चात्, “,सिवाय जहां वह धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश की बाबत है,” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2016 से रखे जाएंगे ।

धारा 253 का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में,— 10

(क) खंड (ड) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ड) धारा 144खक की उपधारा (12) में यथानिर्दिष्ट आयुक्त के अनुमोदन से धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश या ऐसे आदेश की बाबत धारा 154 या धारा 155 के अधीन पारित कोई आदेश ।” । 15

धारा 271चक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 271चक के स्थान पर, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2014 से, रखी जाएगी, अर्थात् :—

वार्षिक सूचना विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति।

“271चक. यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक सूचना विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी उसकी उपधारा (2) के अधीन विहित समय के भीतर देने में असफल रहता है, तो उक्त उपधारा (1) के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में एक सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा : 20

परंतु जहां ऐसा व्यक्ति, धारा 285खक की उपधारा (5) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विवरणी देने में असफल रहता है, वहां वह उस दिन के, जिसको विवरणी देने के लिए ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय समाप्त होता है, ठीक आगामी दिन से प्रारंभ होने वाले ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में पांच सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा ।” । 25

धारा 295 का संशोधन।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2016 से,—

(i) खंड (डड) को खंड (ड) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(डड) अध्याय 10क में विनिर्दिष्ट मामले;”;

(ii) खंड (डडग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 30

“(डडघ) धारा 144खक की उपधारा (18) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों का पारिश्रमिक तथा उपधारा (21) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल के गठन, कार्यकरण और उसके द्वारा निर्देशों का निपटारा करने की प्रक्रिया और रीति ;” ।

चौथी अनुसूची का संशोधन।

50. आय-कर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 3 के उपनियम (1) के प्रथम परंतुक में, “31 मार्च, 2013” अंकों और शब्द के स्थान पर, “31 मार्च, 2014” अंक और शब्द रखे जाएंगे । 35

धन-कर

धारा 2 का संशोधन।

51. धन-कर अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (डक) में, स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2014 से रखा जाएगा, अर्थात् :— 1957 का 27

‘(ख) “नगर भूमि” से ऐसी भूमि अभिप्रेत है, जो,—

(i) ऐसे किसी क्षेत्र में स्थित है, जो किसी नगरपालिका (चाहे वह नगरपालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, शहरी समिति या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) या किसी छावनी बोर्ड की अधिकारिता के भीतर समाविष्ट है और जिसकी जनसंख्या दस हजार से कम नहीं है ; या 40

(ii) एरियल रूप से मापित दूरी के भीतर किसी क्षेत्र में,—

(I) जो उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से दो किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस हजार से अधिक किन्तु एक लाख से अधिक नहीं है ; या

5 (II) जो उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से छह किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु दस लाख से अधिक नहीं है ; या

(III) जो उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से आठ किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है,

किंतु इसके अंतर्गत ऐसी भूमि, जिस पर उस क्षेत्र में, जिसमें ऐसी भूमि स्थित है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी भवन का सन्निर्माण अनुज्ञेय नहीं है, या ऐसी भूमि, जो ऐसे किसी भवन से, जिसका सन्निर्माण समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन से किया गया है, घिरी हुई है या कोई अप्रयुक्त भूमि, जो निर्धारित द्वारा उसके अर्जन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए औद्योगिक प्रयोजनों हेतु धारित की गई है या ऐसी कोई भूमि नहीं है जो निर्धारित द्वारा उसके अर्जन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए व्यापार-स्टाक के रूप में धारित की गई है ।

स्पष्टीकरण—स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, “जनसंख्या” से उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत आंकड़े मूल्यांकन की तारीख के पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं ।’।

15 **52.** धन-कर अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित की जाएंगी, नई धारा 14क और धारा 14ख का अंतःस्थापन ।

20 “14क. बोर्ड, व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग या वर्गों के लिए उपबंध करते हुए नियम बना सकेगा, जिनसे विवरणी के साथ दस्तावेज, विवरण, पावतियां, प्रमाणपत्र, संपरीक्षित रिपोर्टें, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की रिपोर्टें या ऐसे किन्हीं अन्य दस्तावेजों को, जिन्हें इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन धारा 14ख के सिवाय, अन्यथा प्रस्तुत करना अपेक्षित है, प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जा सकेगी, किन्तु जिन्हें मांग किए जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।”

14ख. बोर्ड, निम्नलिखित के लिए उपबंध करते हुए नियम बना सकेगा,—

(क) व्यक्तियों का ऐसा वर्ग या ऐसे वर्ग, जिनसे विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ;

(ख) वह प्ररूप और रीति, जिसमें विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी ;

25 (ग) ऐसे दस्तावेज, विवरण, पावतियां, प्रमाणपत्र, संपरीक्षित रिपोर्टें, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की रिपोर्टें या ऐसे कोई अन्य दस्तावेज, जिन्हें विवरणी के साथ इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, किन्तु जिन्हें मांग किए जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ;

(घ) ऐसा कम्प्यूटर संसाधन या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जिसमें विवरणी को इलैक्ट्रानिक रूप में पारोषित किया जा सकेगा ।’।

30 **53.** धन-कर अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 जून, 2013 से धारा 46 का संशोधन। अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(खक) ऐसे दस्तावेज, विवरण, पावतियां, प्रमाणपत्र, संपरीक्षित रिपोर्टें, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की रिपोर्टें या ऐसे कोई अन्य दस्तावेज, जिन्हें विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, किन्तु जिन्हें धारा 14क के अधीन मांग किए जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ;

35 (खख) व्यक्तियों का ऐसा वर्ग या ऐसे वर्ग, जिनसे विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ; वह प्ररूप और रीति, जिसमें विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी ; ऐसे दस्तावेज, विवरण, पावतियां, प्रमाणपत्र, संपरीक्षित रिपोर्टें, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की रिपोर्टें या ऐसे कोई अन्य दस्तावेज, जिन्हें विवरणी के साथ इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा और ऐसा कम्प्यूटर संसाधन या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जिसमें धारा 14ख के अधीन ऐसी विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप में पारोषित की जा सकेगी ;”।

विवरणी का इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल किया जाना ।

अध्याय 4
अप्रत्यक्ष कर
सीमाशुल्क

- धारा 11 का संशोधन। 54. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ढ) में “और प्रतिलिप्यधिकारों” शब्दों के स्थान पर, “,प्रतिलिप्यधिकारों, डिजाइनों और भौगोलिक उपदर्शनों” शब्द रखे जाएंगे। 1962 का 52 5
- धारा 27 का संशोधन। 55. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“परंतु यह भी कि जहां दावा किए गए प्रतिदाय की रकम एक सौ रुपए से कम है, तो उसका प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।” 10
- धारा 28 का संशोधन। 56. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“परंतु उचित अधिकारी ऐसा कारण बताओ नोटिस तामील नहीं करेगा जहां अंतर्वलित रकम एक सौ रुपए से कम है।” 15
- धारा 28खक का संशोधन। 57. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28खक की उपधारा (1) में “धारा 28 की उपधारा (1)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “धारा 28 की उपधारा (1) या उपधारा (4)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे। 15
- धारा 28ड का संशोधन। 58. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ड के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
‘(क) “क्रियाकलाप” से आयात या निर्यात अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, यथास्थिति, विद्यमान आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित आयात या निर्यात का कोई नया कारबार भी है;’ 15
- धारा 29 का संशोधन। 59. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में “यथास्थिति” शब्द के पश्चात् “,जब तक कि बोर्ड द्वारा अनुज्ञात न किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे। 20
- धारा 30 का संशोधन। 60. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में,—
(क) “आयात माल सूची” शब्दों के स्थान पर “आयात माल सूची इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करके” शब्द रखे जाएंगे;
(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 25
“परंतु सीमाशुल्क आयुक्त, उन मामलों में, जहां आयात माल सूची का इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करके देना साध्य नहीं है, उसका किसी अन्य रीति में देना अनुज्ञात कर सकेगा।”
- धारा 41 का संशोधन। 61. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) में,—
(क) “निर्यात सूची” शब्दों के स्थान पर “इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत निर्यात सूची” शब्द रखे जाएंगे;
(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 30
“परंतु सीमाशुल्क आयुक्त, उन मामलों में, जहां निर्यात माल सूची का इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करके देना साध्य नहीं है, उसका किसी अन्य रीति में देना अनुज्ञात कर सकेगा।”
- धारा 47 का संशोधन। 62. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) में, “पांच दिन” शब्दों के स्थान पर, “दो दिन” शब्द रखे जाएंगे।
- धारा 49 का संशोधन। 63. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 49 में,—
(क) “सार्वजनिक भंडागार में भंडारकरण की अनुज्ञा दी जा सकती है” शब्दों के स्थान पर, “तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए भंडारकरण की अनुज्ञा दी जा सकती है” शब्द रखे जाएंगे;
(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 35
“परंतु भंडारकरण की अवधि सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा एक बार में तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी।” 40

64. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, धारा 69 का संशोधन।
अर्थात् :—

“(क) ऐसे माल की बाबत पोतपत्र या निर्यातपत्र या धारा 82 में यथानिर्दिष्ट ऐसे माल से संलग्न कोई लेबल या घोषणा विहित रूप में पेश की गई है ;” ।

5 65. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, धारा 104 का संशोधन।
अर्थात्:—

“(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट उपबंधों के होते हुए भी,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक शुल्क के अपवंचन या अपवंचन का प्रयास करने से ; या

10 (ख) धारा 11 के अधीन अधिसूचित ऐसे प्रतिषिद्ध माल से, जो धारा 135 की उपधारा (1) के खंड (i) के उपखंड (इ) के अधीन भी अधिसूचित हैं ; या

(ग) ऐसे किसी माल के, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार घोषित नहीं किया गया है और जिसकी बाजार कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक है, आयात या निर्यात से ; या

(घ) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शुल्क से कपटपूर्ण रूप से वापसी या किसी छूट को, यदि वापसी या शुल्क से छूट की रकम पचास लाख रुपए से अधिक है, प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास करने से,

15 संबंधित धारा 135 के अधीन दंडनीय अपराध अजमानतीय होगा ।

(7) उपधारा (6) में, जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम के अधीन सभी अन्य अपराध जमानतीय होंगे ।”।

66. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ख की उपधारा (2क) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक धारा 129ख का अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— संशोधन।

20 “परंतु यह भी कि जहां ऐसी अपील का निपटारा पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील अधिकरण, किसी पक्षकार द्वारा इस निमित्त कोई आवेदन किए जाने पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलंब ऐसे पक्षकार के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है, रोक की अवधि को एक सौ पचासी दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा, जो वह ठीक समझे और यदि अपील का निपटारा पहले परंतुक में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिन की कुल अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो रोकदेश,
25 उक्त अवधि के अवसान पर बातिल हो जाएगा ।”।

67. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ग की उपधारा (4) में, “दस लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पचास लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे । धारा 129ग का संशोधन।

68. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) के खंड (i) के उपखंड (आ) और उपखंड (ई) में, “तीस लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, क्रमशः “पचास लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे । धारा 135 का संशोधन।

30 69. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (ग) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित खंड धारा 142 का अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— संशोधन ।

35 “(घ) (i) उचित अधिकारी, लिखित सूचना द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से, जिससे ऐसे व्यक्ति को धन शोध्य है, या ऐसे व्यक्ति को शोध्य हो जाता है या जो ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके लेखे धन धारण करता है या तत्पश्चात् धारण करे, यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस धन के शोध्य हो जाने पर या धारण किए जाने पर तुरंत या सूचना में विनिर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर, जो ऐसे समय से पूर्व का न हो, जब धन शोध्य हो जाता है या धारण किया जाता है, उतना धन जितना ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो या उस रकम के बराबर या उससे कम होने की दशा में संपूर्ण धन केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा;

40 (ii) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन सूचना जारी की जाती है, ऐसी सूचना का पालन करने के लिए आबद्धकर होगा और विशिष्ट रूप से, जहां ऐसी कोई सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है, वहां किसी प्रतिकूल नियम, प्रथा या अपेक्षा के होते हुए भी, संदाय करने से पूर्व की जाने वाली किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या वेसी ही किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को पेश करना आवश्यक नहीं होगा ;

45 (iii) यदि वह व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन सूचना जारी की गई है, उसके अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को संदाय करने में असफल रहता है, तो उस व्यक्ति को सूचना में विनिर्दिष्ट रकम की बाबत व्यतिक्रमी समझा जाएगा और इस अध्याय की सभी पारिणामिक बातों का अनुसरण किया जाएगा ।”।

- धारा 143क का लोप। 70. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 143क का लोप किया जाएगा ।
- धारा 144 का संशोधन। 71. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 144 की उपधारा (3) में, “यदि ऐसा शुल्क पांच रुपए या उससे अधिक है” शब्दों का लोप किया जाएगा।
- धारा 146 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। 72. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 146 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—
- सीमाशुल्क दलालों के लिए अनुज्ञप्ति। “146. (1) कोई व्यक्ति किसी वाहन के प्रवेश या प्रस्थान के संबंध में या किसी सीमाशुल्क स्टेशन से माल के आयात या निर्यात के संबंध में सीमाशुल्क दलाल के रूप में कारबार नहीं चलाएगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विनियमों के अनुसार इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता है । 5
- (2) बोर्ड, इस धारा के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए विनियम बना सकेगा और विशिष्टतया ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा,—
- (क) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकेगी और ऐसी अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि ; 10
- (ख) अनुज्ञप्ति का प्ररूप और उसके लिए संदेय फीस;
- (ग) उन व्यक्तियों की अर्हताएं जो अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे और उन व्यक्तियों की अर्हताएं जो किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सीमाशुल्क दलाल के रूप में उसके कार्य में सहायता करने के लिए नियोजित किए जाने हैं ; 15
- (घ) परीक्षा करने की रीति ;
- (ङ) वे निर्बन्धन और शर्तें (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिभूति देना भी है) जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकेगी ;
- (च) वे परिस्थितियां जिनमें अनुज्ञप्ति निलंबित की जा सकेगी या प्रतिसंहत की जा सकेगी; और
- (छ) अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण के आदेश के विरुद्ध अपीलें, यदि कोई हों और वह अवधि जिसके अंदर ऐसी अपीलें फाइल की जा सकेंगी ।” 20
- धारा 146क का संशोधन। 73. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 146क में,—
- (क) उपधारा (2) के खंड (ख) में, “सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता” शब्दों के स्थान पर, “सीमाशुल्क दलाल” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) उपधारा (4) में,— 25
- (i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
- “(ख) जो इस अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 या वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी अपराध का दोषसिद्ध है; या”;
- 1944 का 1
1968 का 45
1994 का 32
- (ii) “केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 या स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968” “शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 या वित्त अधिनियम, 1994” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । 30
- 1944 का 1
1968 का 45
1994 का 32
- धारा 147 का संशोधन। 74. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (3) में, “ऐसे प्रयोजनों के लिए” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्रयोजन जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उसके लिए दायित्व है, के लिए” शब्द रखे जाएंगे ।
- सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 से उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित हो जाएगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएगी । 35
- 1962 का 52
- (2) केंद्रीय सरकार को, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति होगी और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे उसी प्रकार से ऐसी शक्ति प्राप्त है, मानो केंद्रीय सरकार को सभी तात्त्विक समयों पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति प्राप्त थी । 40
- 1962 का 52
- (3) ऐसे सभी सीमाशुल्क का, जो संगृहीत किया गया है किंतु जो उस दशा में इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती, प्रतिदाय किया जाएगा।

1962 का 52 (4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क के प्रतिदाय के दावे के लिए आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर किया जाएगा।

1962 का 52 **स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 5 27 के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिदायों के मामले में लागू होंगे।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51

76. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची का संशोधन तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा। पहली अनुसूची का संशोधन।

77. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में,—

10 (क) दूसरी अनुसूची में, क्रम सं0 43 के सामने, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7210, 7212” प्रविष्टि रखी जाएगी और 1 मार्च, 2011 से रखी गई समझी जाएगी ;

(ख) दूसरी अनुसूची का चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा। दूसरी अनुसूची का संशोधन।

उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

78. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 9 का संशोधन। धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में, “तीस लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पचास लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

79. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, धारा 9क का संशोधन। अर्थात् :—

1974 का 2

“(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन अपराध, उपधारा (1क) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय उस संहिता के अर्थात् अंतर्गत असंज्ञेय होंगे।

20 (1क) उत्पाद-शुल्क माल से संबंधित अपराध, जहां उस पर इस अधिनियम के अधीन उद्गृहणीय शुल्क पचास लाख रुपए से अधिक हो जाता है और धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (खखखख) के अधीन दंडनीय है, संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

80. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और धारा 11 का संशोधन। इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में,—

25 (क) “इस प्रकार संदेय रकम” शब्दों से आरंभ तथा “व्ययनाधीन या नियंत्रणाधीन हों” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1962 का 52

30 “इस प्रकार संदेय रकम को किसी ऐसे धन में से काट सकेगा या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 में निर्दिष्ट केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी या किसी उचित अधिकारी से काटने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उस व्यक्ति को देना है, जिससे ऐसी धनराशियां वसूलनीय या शोध्य हों और जो उसके पास या उसके व्ययनाधीन या नियंत्रणाधीन हों या जो ऐसे अन्य अधिकारी के व्ययनाधीन या नियंत्रणाधीन हों”;

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

35 “(2) (i) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, लिखित सूचना द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से, जिससे ऐसे व्यक्ति को धन शोध्य है, या जो ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके लेखे धन धारण करता है या तत्पश्चात् धारण करे, यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस धन के शोध्य हो जाने पर या धारण किए जाने पर तुरंत या सूचना में विनिर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर, जो ऐसे समय से पूर्व का न हो, जब धन शोध्य हो जाता है या धारण किया जाता है, उतना धन जितना ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो या उस रकम के बराबर या उससे कम होने की दशा में संपूर्ण धन केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त करे ;

40 (ii) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस उपधारा के अधीन सूचना जारी की जाती है, ऐसी सूचना का पालन करने के लिए आबद्ध होना और विशिष्ट रूप से, जहां ऐसी कोई सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है, वहां किसी प्रतिकूल नियम, प्रथा या अपेक्षा के होते हुए भी, संदाय करने से पूर्व की जाने वाली किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या वैसी ही किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को पेश करना आवश्यक नहीं होगा;

45 (iii) यदि वह व्यक्ति, जिसे इस उपधारा के अधीन सूचना जारी की गई है, उसके अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को संदाय करने में असफल रहता है, तो उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम की बाबत ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा, जिससे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी के अधीन केंद्रीय सरकार को शुल्क और किसी प्रकार की संदेय कोई अन्य धनराशियां शोध्य हो गई हैं और इस अधिनियम की सभी पारिणामिक बातें लागू होंगी।”।

81. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित धारा 11क का संशोधन। की जाएगी, अर्थात् :—

“(7क) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, इन उपधाराओं में से किसी के अधीन तामील की गई किसी सूचना या सूचनाओं के पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क से प्रभार्य व्यक्ति पर पश्चात्वर्ती अवधि के लिए उद्गृहीत या संदत्त न किए गए या कम उद्गृहीत किए गए या कम संदत्त किए गए या भूल से प्रतिदाय किए गए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के ब्यौरों के विवरण की तामील कर सकेगा और ऐसे विवरण की तामील को पूर्वोक्त उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर इस शर्त के अधीन सूचना की तामील समझा जाएगा कि पश्चात्वर्ती अवधि के लिए वे आधार, जिनका अवलंब लिया गया है, वही हैं, जो पूर्व सूचना या सूचनाओं में वर्णित हैं।”।

धारा 11घघक का संशोधन । 82. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घघक की उपधारा (1) में, “की उपधारा (1)” शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ।

धारा 20 का संशोधन । 83. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 20 में, “उस व्यक्ति की जमानत ले लेगा” शब्दों के स्थान पर, “उस व्यक्ति की, जहां अपराध असंज्ञेय है, जमानत ले लेगा” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 21 का संशोधन । 84. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के परंतुक में,—

(i) खंड (क) में, “उसकी जमानत ले लेगा” शब्दों के स्थान पर, “जहां अपराध असंज्ञेय है, उसकी जमानत ले लेगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, “अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध” शब्दों के पश्चात् “उस अपराध की बाबत, जो असंज्ञेय है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 23क का संशोधन । 85. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

‘(क) “क्रियाकलाप” से माल का उत्पादन या विनिर्माण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, यथास्थिति, विद्यमान उत्पादक या विनिर्माता द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित उत्पादन या विनिर्माण का कोई नया कारबार भी है;’।

धारा 23ग का संशोधन । 86. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23ग की उपधारा (2) के खंड (ङ) में, “प्रयुक्त माल” शब्दों के स्थान पर, “निवेश सेवा पर संदत्त या संदत्त किए गए समझे गए सेवा कर या प्रयुक्त माल” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23च का संशोधन । 87. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23च की उपधारा (1) में “धारा 28झ” शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 23घ” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 35ग का संशोधन । 88. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ग की उपधारा (2क) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि जहां ऐसी अपील का निपटारा पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील अधिकरण, किसी पक्षकार द्वारा इस निमित्त कोई आवेदन किए जाने पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलंब ऐसे पक्षकार के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है, रोक की अवधि को एक सौ पचासी दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा, जो वह ठीक समझे और यदि अपील का निपटारा पहले परंतुक में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिन की कुल अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो रोकादेश, उक्त अवधि के अवसान पर बातिल हो जाएगा।”।

धारा 35घ का संशोधन । 89. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35घ की उपधारा (3) में, “दस लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पचास लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 37ग का संशोधन । 90. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37ग में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (क) में, “रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा” शब्दों के पश्चात् “या परिदान के सबूत के साथ डाक विभाग के स्पीड पोस्ट द्वारा या केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा अनुमोदित कुरियर द्वारा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, “डाक द्वारा” शब्दों के पश्चात् “या उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुरियर द्वारा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

तीसरी अनुसूची का संशोधन । 91. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का संशोधन पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 का 5

92. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम पहली अनुसूची कहा गया है) की पहली अनुसूची का संशोधन छोटी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा।

पहली अनुसूची का संशोधन।

अध्याय 5

5

सेवा कर

93. वित्त अधिनियम, 1994 में,—

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

(अ) धारा 65ख में,—

(i) खंड (11) में,—

(क) उपखंड (i) में, “राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्” शब्दों के पश्चात्, “या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ii) के अंत में आने वाले “या” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ग) उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा ;

1944 का 1

1955 का 16

(ii) खंड (40) में, “केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955” शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) धारा 66ख के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(इ) धारा 66ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

1994 का 32

“66खक.(1) सेवा कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के प्रयोजन के लिए, वित्त अधिनियम, 1994 में, धारा 66 धारा 66 के प्रतिनिर्देशों का धारा 66ख के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थान्वयन किया जाना।

(2) इस धारा के उपबंध, 1 जुलाई, 2012 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।”;

20

(ई) धारा 66घ के खंड (घ) के उपखंड (i) में, “बीज” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(उ) धारा 73 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(2क) जहां किसी अपील प्राधिकरण या अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उपधारा (1) के परंतुक के अधीन जारी की गई सूचना इस कारण से कायम रखे जाने योग्य नहीं है कि,—

25

(क) कपट ; या

(ख) दुरभिसंधि ; या

(ग) जानबूझकर अशुद्ध कथन ; या

(घ) तथ्यों का छिपाव ; या

30

(ङ) सेवा कर के संदाय के अपवंचन के आशय से इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन,

के आरोप सेवा कर से प्रभार्य उस व्यक्ति, जिसको सूचना दी गई है, के विरुद्ध सिद्ध नहीं होते हैं, वहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी अठारह मास की अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय सेवा कर का, यह धारणा करते हुए कि मानो सूचना उन अपराधों के लिए, जिनके लिए उपधारा (1) के अधीन अठारह मास की परिसीमा लागू होती है, जारी की गई थी, अवधारण करेगा।”;

35

(ज) धारा 77 की उपधारा (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) कोई व्यक्ति, जो सेवा कर के संदाय का दायी है या जिससे रजिस्ट्रीकरण कराने की अपेक्षा की जाती है, धारा 69 या इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण कराने में असफल रहता है, ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी;”;

(झ) धारा 78 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

किसी कंपनी के निदेशक, आदि द्वारा अपराधों के लिए शास्ति।

“78क. जहां किसी कंपनी ने निम्नलिखित में से कोई उल्लंघन किया है, अर्थात् :—

(क) सेवा-कर का अपवंचन किया है ; या

(ख) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में कराधेय सेवा के उपबंध के बिना, यथास्थिति, बीजक, बिल या चालान जारी किया है ; या

(ग) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन बनाए गए नियमों का पूर्णतः या भागतः उल्लंघन करते हुए कराधेय सेवा या उत्पाद-शुल्क्य माल की वास्तविक प्राप्ति के बिना करों या शुल्क के प्रत्यय का लाभ उठाया है और उपयोग किया है ; या

(घ) उस तारीख से, जिसको ऐसा संदाय शोध्य होता है, छह मास की अवधि से परे, केंद्रीय सरकार के जमा खाते में सेवा-कर के रूप में संगृहीत किसी रकम का संदाय करने में असफल रहा है,

वहां ऐसी कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कोई अन्य अधिकारी, जो ऐसे उल्लंघन के समय कंपनी का भारसाधक था और ऐसी कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी था और जो जानबूझकर ऐसे उल्लंघन से संबद्ध था, ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी।”;

(ए) धारा 83 में, “9क” अंक और अक्षर के स्थान पर, “धारा 9क की उपधारा (2)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ऐ) धारा 86 की उपधारा (5) में, “उपधारा (3)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “उपधारा (1) या उपधारा (3)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ओ) धारा 89 में,—

(क) उपधारा (1) के खंड (झ) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(i) खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, जहां रकम पचास लाख रुपए से अधिक हो जाती है, ऐसी अवधि के, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से दंडनीय होगा:

परंतु न्यायालय के निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले प्रतिकूल, विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास छह मास से अन्यून अवधि के लिए नहीं होगा ;

(ii) खंड (घ) में विनिर्दिष्ट अपराध की दशा में, जहां रकम पचास लाख रुपए से अधिक हो जाती है, ऐसी अवधि के कारावास से जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा :

परंतु न्यायालय के निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले प्रतिकूल, विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास छह मास से अन्यून अवधि के लिए नहीं होगा;

(iii) किन्हीं अन्य अपराधों की दशा में, ऐसी अवधि के, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से दंडनीय होगा ;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2) यदि किसी व्यक्ति को—

(क) खंड (i) या खंड (iii) में दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से दंडित किया जाएगा;

(ख) खंड (ii) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के, जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से दंडित किया जाएगा।”;

(औ) धारा 89 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“90. (1) धारा 89 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन कोई अपराध संज्ञेय होगा ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों के सिवाय सभी अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होंगे ।

91. (1) यदि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त का यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने धारा 89 की उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किया है, तो वह साधारण या विशेष

नई धारा 90, धारा 91 और धारा 92 का अंतःस्थापन। अपराधों का संज्ञान।

गिरफ्तार करने की शक्ति।

आदेश द्वारा किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को, जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) जहां किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है वहां प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी उस व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करने के आधारों की सूचना देगा और उसे चौबीस घंटे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा ।

(3) असंज्ञेय और जमानतीय अपराध के मामले में, यथास्थिति, सहायक आयुक्त या उप आयुक्त को उस व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा छोड़ने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उन्हीं उपबंधों के अधीन होगा जैसी किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 के अधीन प्राप्त हैं और उनके अधीन है ।

(4) इस धारा के अधीन सभी गिरफ्तारियां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की गिरफ्तारियों से संबंधित उपबंधों के अनुसार की जाएंगी । ”;

(अं) धारा 95 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1) यदि वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 93 को, जहां तक यह वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का संशोधन करने के संबंध में है, प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको वित्त अधिनियम, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।”;

(अः) धारा 98 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“99. धारा 66 में, जैसी वह 1 जुलाई, 2012 के पूर्व विद्यमान थी, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारतीय रेल द्वारा 1 जुलाई, 2012 के पूर्व की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं की बाबत कोई सेवा कर उस सीमा तक, जिसके लिए धारा 73 के अधीन 28 फरवरी, 2013 तक सूचनाएं जारी की गई हैं, उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।”।

भारतीय रेल द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं के लिए विशेष उपबंध।

अध्याय 6

सेवा कर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम, 2013

- 25 **94.** इस स्कीम का संक्षिप्त नाम सेवा कर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम, 2013 है । संक्षिप्त नाम।
- 1994 का 32 **95.** (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।
- (क) “अध्याय” से वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय 5 अभिप्रेत है ;
- (ख) “घोषणाकर्ता” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा करता है;
- 30 (ग) “पदाभिहित प्राधिकारी” से इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त से नीचे की पंक्ति का न हो ;
- (घ) “विहित” से इस स्कीम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (ङ) “शोध्य कर-राशियां” से 1 अक्टूबर, 2007 से आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, अध्याय के अधीन शोध्य या संदेय सेवा कर या उसकी धारा 73क के अधीन शोध्य या संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय, किंतु 1 मार्च, 2013 तक असंदत्त, उपकर है, अभिप्रेत है ।
- 35 (2) शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों में क्रमशः उनके हैं ।
- 40 **96.** (1) ऐसा कोई व्यक्ति अपनी शोध्य कर-राशियों को घोषित कर सकेगा, जिनकी बाबत अध्याय की धारा 72 या धारा 73 या धारा 73क के अधीन अवधारण की कोई सूचना या आदेश 1 मार्च, 2013 के पूर्व जारी नहीं की गई है या नहीं किया गया है : वह व्यक्ति जो शोध्य कर-राशियों की घोषणा कर सकेगा।
- परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अध्याय की धारा 70 के अधीन विवरणी प्रस्तुत की है और अपने सही दायित्व को प्रकट किया है, किंतु सेवा कर की रकम या उसके किसी भाग की प्रकटित रकम का संदाय नहीं किया है, उक्त विवरणी के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए कोई घोषणा करने का पात्र नहीं होगा :
- 45 परंतु यह और कि जहां सूचना या अवधारण का आदेश किसी मुद्दे पर किसी अवधि की बाबत किसी व्यक्ति को जारी की गई है तो उसी मुद्दे पर किसी पश्चात्वर्ती अवधि के लिए शोध्य कर-राशियों की कोई घोषणा नहीं की जाएगी ।

(2) जहां ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा घोषणा की गई है, जिसके विरुद्ध,—

(क) उद्गृहीत न किए गए या संदत्त न किए गए या कम उद्गृहीत किए गए या कम संदत्त किए गए सेवा कर की बाबत —

(i) अध्याय की धारा 82 के अधीन परिसर की तलाशी के रूप में ; या

(ii) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 14 के अधीन समन जारी किए जाने के रूप में, जैसा 5 1944 का 1 उसकी धारा 83 के अधीन अध्याय को लागू बनाया गया है; या

(iii) अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन लेखा, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा करने के रूप में,

कोई जांच या अन्वेषण आरंभ किया गया है; या

(ख) संपरीक्षा आरंभ की गई है,

और ऐसी जांच, अन्वेषण या संपरीक्षा 1 मार्च, 2013 को लंबित है, वहां पदाभिहित प्राधिकारी किसी ऐसे आदेश द्वारा ऐसी घोषणा को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, नामंजूर करेगा ।

घोषणा करने की प्रक्रिया और शोध्य कर-राशियों का संदाय।

97. (1) इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति पदाभिहित प्राधिकारी को 31 दिसंबर, 2013 को या उसके पूर्व ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, घोषणा कर सकेगा ।

(2) पदाभिहित प्राधिकारी, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, घोषणा की अभिस्वीकृति करेगा। 15

(3) घोषणाकर्ता उन शोध्य कर-राशियों की, जिसकी वह उपधारा (1) के अधीन घोषणा करे, कम से कम पचास प्रतिशत रकम का 31 दिसंबर, 2013 को या उसके पूर्व संदाय करेगा और उसके संदाय का सबूत पदाभिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(4) घोषणाकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन किए गए संदाय के पश्चात्, संदत्त किए जाने के लिए शेष रह गई शोध्य कर-राशियां या उसके भाग का संदाय, 30 जून, 2014 को या उसके पूर्व किया जाएगा: 20

परंतु जहां घोषणाकर्ता उक्त शोध्य कर-राशियों या उसके भाग का उक्त तारीख को या उसके पूर्व संदाय करने में असफल रहता है, वहां वह 1 जुलाई 2014 से आरम्भ होने वाली विलम्ब की अवधि के लिए अध्याय की, यथास्थिति, धारा 75 या धारा 73ख के अधीन यथा नियत दर पर उस पर ब्याज सहित 31 दिसम्बर, 2014 को या उसके पूर्व संदाय करेगा।

(5) उपधारा (3) और उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, घोषणाकर्ता ऐसे किसी सेवा कर का, जो, जनवरी, 2013 मास और उसके बाद के मासों के लिए शोध्य या संदेय हो जाता है उसके द्वारा अध्याय के उपबंधों के अनुसार संदाय किया जाएगा और तदनुसार उसके संदाय में विलंब के लिए इस अध्याय के अधीन ब्याज भी संदेय होगा। 25

(6) घोषणाकर्ता पदाभिहित प्राधिकारी को इस स्कीम के अधीन समय-समय पर किए गए संदायों के ब्यौरे, उपधारा (2) के अधीन उसे जारी की गई अभिस्वीकृति की प्रति सहित, प्रस्तुत करेगा ।

(7) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन घोषित शोध्य कर-राशियों और संदेय ब्याज, यदि कोई हो, के पूर्ण संदाय के ब्यौरे प्रस्तुत करने पर, पदाभिहित प्राधिकारी ऐसे शोध्यों के उन्मोचन की अभिस्वीकृति घोषणाकर्ता को प्रस्तुत करेगा । 30

शास्ति, ब्याज और अन्य कार्यवाही से उन्मुक्ति।

98. (1) अध्याय के किसी उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, घोषणाकर्ता, धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा घोषित शोध्य कर-राशियों का और उसकी उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन संदेय ब्याज का संदाय करने पर अध्याय के अधीन शास्ति, ब्याज या किसी अन्य कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त करेगा ।

(2) धारा 101 के उपबंधों के अधीन रहते हुए धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन की गई कोई घोषणा, धारा 97 की उपधारा (7) के अधीन उन्मोचन की अभिस्वीकृति जारी किए जाने पर निश्चायक होगी और उसके पश्चात्, अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी घोषणा के अन्तर्गत आने वाली अवधि से संबंधित, ऐसे किसी मामले को किसी प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष पुनः नहीं खोला जाएगा। 35

स्कीम के अधीन संदत्त रकम का प्रतिदाय न होना।

99. धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन की गई किसी घोषणा के अनुसरण में संदत्त किसी रकम का किन्हीं भी परिस्थितियों में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

घोषित, किंतु संदत्त न की गई शोध्य कर-राशियां।

100. जहां घोषणाकर्ता उसके द्वारा घोषित पूर्ण शोध्य कर-राशियों का या उनके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है वहां उससे ऐसी शोध्य कर-राशियां उस पर ब्याज सहित, अध्याय की धारा 87 के उपबंधों के अधीन वसूल की जाएंगी । 40

सही घोषणा करने में असफल रहना।

101. (1) यदि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस स्कीम के अधीन घोषणाकर्ता द्वारा की गई कोई घोषणा सारभूत रूप से मिथ्या है तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे घोषणाकर्ता पर, उससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि उसे उसके द्वारा असंदत्त या कम संदत्त शोध्य कर-राशियों का संदाय क्यों नहीं करना चाहिए, सूचना की तामील कर सकेगा । 45

(2) घोषणा की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई कारण बताओ सूचना को अध्याय की, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 73क के अधीन जारी की गई सूचना समझा जाएगा और अध्याय के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

102. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस स्कीम में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ शंकाओं का दूर किया नहीं लगाया जाएगा कि वह घोषणाकर्ता को धारा 98 के अधीन अनुदत्त फायदे, रियायत या उन्मुक्ति से भिन्न कोई फायदा, रियायत या उन्मुक्ति प्रदान करने वाली है । जाना।

103. (1) यदि इस स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
5 आदेश द्वारा, जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको इस स्कीम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

104. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना नियम बनाने की सकेगी । शक्ति।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा की जा सकेगी ;

15 (ख) धारा 97 की उपधारा (2) के अधीन अभिस्वीकृति का प्ररूप और रीति ;

(ग) धारा 97 की उपधारा (7) के अधीन शोध्य कर-राशियों के उन्मोचन की अभिस्वीकृति का प्ररूप और रीति;

(घ) कोई अन्य विषय, जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाए ।

(3) केन्द्रीय सरकार, इस स्कीम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई 25 किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अध्याय 7

वस्तु संव्यवहार कर

105. (1) इस अध्याय का विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

विस्तार, प्रारंभ और लागू होना।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

30 (3) यह, इस अध्याय के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों को लागू होगा ।

106. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

1961 का 43 (1) “अपील अधिकरण” से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 252 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

35 (2) “निर्धारण अधिकारी” से ऐसा आय-कर अधिकारी या सहायक आय-कर आयुक्त या उप आय-कर आयुक्त या संयुक्त आय-कर आयुक्त या अपर आय-कर आयुक्त अभिप्रेत है, जो बोर्ड द्वारा इस अध्याय के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने या सौंपे गए सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

1963 का 54 (3) “बोर्ड” से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है;

40 (4) “वस्तु संव्यवहार कर” से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन कराधेय वस्तु संव्यवहारों पर उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है ;

(5) “वस्तु व्युत्पत्नी” से अभिप्रेत है—

(i) माल के परिदान के लिए ऐसी कोई संविदा, जो तत्पर परिदान संविदा नहीं है ;

(ii) अंतर संबंधी कोई संविदा, जो अपना मूल्य,—

(अ) ऐसे अंतर्निहित माल ; या

(आ) संबद्ध सेवा और अधिकार, जैसे भांडागारण और मालभाड़ा ; या

(इ) मौसम और वैसी ही घटनाओं और क्रियाकलापों के संदर्भ में, जिनका वस्तु सेक्टर से संबंध है,

ऐसी कीमतों या कीमत सूचकांकों से व्युत्पन्न करता है,

(6) “विहित” से इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

5

(7) “कराधेय वस्तु संव्यवहार” से मान्यताप्राप्त संगमों में व्यापार की गई वस्तुओं, कृषि वस्तुओं से भिन्न, की बाबत वस्तु व्युत्पन्नियों के विक्रय का कोई संव्यवहार अभिप्रेत है ;

(8) उन शब्दों और पदों के, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, और अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952, आय-कर अधिनियम, 1961 या उनके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं ।

1952 का 74

10 1961 का 43

वस्तु संव्यवहार कर का प्रभार ।

107. इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से ही, ऐसे प्रत्येक कराधेय वस्तु संव्यवहार जो वस्तु व्युत्पन्नी का विक्रय है, की बाबत ऐसे संव्यवहार के मूल्य पर वस्तु संव्यवहार कर 0.01 प्रतिशत दर पर प्रभारित किया जाएगा और ऐसा कर विक्रेता द्वारा संदेय होगा ।

कराधेय वस्तु संव्यवहार का मूल्य।

108. धारा 107 में निर्दिष्ट कराधेय वस्तु संव्यवहारों का मूल्य ऐसे संव्यवहार के संबंध में, वह कीमत होगी जिस पर वस्तु व्युत्पन्नी का व्यापार किया जाता है ।

15

वस्तु संव्यवहार कर का संग्रहण और वसूली ।

109. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त संगम (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् निर्धारित कहा गया है), ऐसे विक्रेता से, जो उस मान्यताप्राप्त संगम में कोई कराधेय वस्तु संव्यवहार करता है, धारा 107 में विनिर्दिष्ट दर पर वस्तु संव्यवहार कर का संग्रहण करेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी कलेंडर मास के दौरान संगृहीत वस्तु संव्यवहार कर का, प्रत्येक निर्धारित द्वारा उक्त कलेंडर मास के ठीक बाद के मास के सातवें दिन तक केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदाय किया जाएगा ।

20

(3) ऐसा कोई निर्धारित, जो उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने में असफल रहेगा, ऐसी असफलता के होते हुए भी, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में उक्त कर का संदाय करने का दायी होगा ।

विवरणी का दिया जाना।

110. (1) प्रत्येक निर्धारित, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विहित समय के भीतर, उस मान्यताप्राप्त संगम में उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी कराधेय वस्तु संव्यवहारों के संबंध में ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरणी तैयार करेगा और उसे निर्धारण अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

25

(2) जहां कोई निर्धारित, विहित समय के भीतर उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने में असफल रहता है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसे निर्धारित को एक सूचना जारी कर सकेगा और उस पर उसकी तामील उससे यह अपेक्षा करते हुए कर सकेगा कि वह विवरणी को विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित तथा उसमें ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करे, जो विहित किया जाए ।

30

(3) ऐसा कोई निर्धारित, जिसने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विहित समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने पर उसे उसमें किसी लोप या गलत कथन का पता लगता है, निर्धारण किए जाने के पूर्व किसी समय, यथास्थिति, विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।

35

निर्धारण ।

111. (1) इस अध्याय के अधीन कोई निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी किसी ऐसे निर्धारित पर, जिसने धारा 110 के अधीन विवरणी प्रस्तुत की है या जिस पर उस धारा की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है (चाहे कोई विवरणी प्रस्तुत की गई है या नहीं), किसी सूचना की, उससे उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को, ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को, जिनकी निर्धारण अधिकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने या कराने की अपेक्षा करते हुए तामील कर सकेगा और समय-समय पर और सूचनाओं की उससे ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को, जिसकी वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए तामील कर सकेगा।

40

(2) निर्धारण अधिकारी ऐसे लेखाओं, दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, जो उपधारा (1) के अधीन उसने अभिप्राप्त किए हैं और ऐसी किसी अन्य सुसंगत सामग्री को, जो उसने एकत्रित की है, ध्यान में रखने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान कराधेय वस्तु संव्यवहारों का मूल्य निर्धारित करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर संदेय वस्तु संव्यवहार कर या शोध प्रतिदाय का अवधारण करेगा :

45

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निर्धारण सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक निर्धारिती, यदि उपधारा (2) के अधीन निर्धारण पर उसे किसी रकम का प्रतिदाय किया जाता है, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विक्रेता को, जिससे ऐसी रकम संगृहीत की गई थी, उस रकम का प्रतिदाय करेगा।

112. (1) अभिलेख से प्रकट किसी भूल की परिशुद्धि करने की दृष्टि से, निर्धारण अधिकारी, इस अध्याय के उपबंधों भूल की परिशुद्धि। के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को, उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें वह आदेश, जिसमें संशोधन किए जाने की ईप्सा की गई थी, पारित किया गया था, एक वर्ष के भीतर संशोधित कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश से संबंधित किसी मामले पर अपील के रूप में किसी कार्यवाही में विचार किया गया है और उसका विनिश्चय किया गया है, वहां ऐसा आदेश पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस मामले से, जिस पर इस प्रकार विचार किया गया है और विनिश्चय किया गया है, भिन्न किसी मामले के संबंध में उस उपधारा के अधीन आदेश का संशोधन कर सकेगा।

10 (3) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण अधिकारी, स्वप्रेरणा से या ऐसे निर्धारिती द्वारा उसकी जानकारी में कोई भूल लाए जाने पर उपधारा (1) के अधीन, कोई संशोधन कर सकेगा।

(4) ऐसा कोई संशोधन, जिसका प्रभाव किसी निर्धारण को बढ़ाने या किसी प्रतिदाय को कम करने या अन्यथा निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने का है, इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना नहीं दे दी हो और निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर 15 न दे दिया गया हो।

(5) इस धारा के अधीन संशोधन का आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा लिखित में किया जाएगा।

(6) इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को कम करने का है वहां निर्धारण अधिकारी ऐसा कोई प्रतिदाय करेगा, जो उस निर्धारिती को देय हो।

(7) जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को बढ़ाने या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करने का है, वहां 20 निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा और इस अध्याय के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

113. ऐसा प्रत्येक निर्धारिती, जो धारा 109 के अधीन यथा अपेक्षित वस्तु संव्यवहार कर या उसके किसी भाग को, उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने में असफल रहता है, प्रत्येक उस मास या किसी मास के भाग के लिए, जिस तक कर या उसके किसी भाग के ऐसे जमा किए जाने में विलंब किया जाता है, ऐसे 25 कर के एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा।

वस्तु संव्यवहार कर के विलंबित संदाय पर ब्याज।

114. कोई निर्धारिती, जो,—

वस्तु संव्यवहार कर का संग्रहण या संदाय करने में असफलता के लिए शास्ति।

(क) धारा 109 के अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण वस्तु संव्यवहार कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है ; या

30 (ख) वस्तु संव्यवहार कर संगृहीत करने पर, ऐसे कर का उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदाय करने में असफल रहता है,—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार कर का या धारा 113 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का, यदि कोई हो, संदाय करने के अतिरिक्त, वस्तु संव्यवहार कर की उस रकम के, जिसका संग्रहण करने में वह असफल रहा था, बराबर राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा; और

35 (ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कर का और धारा 113 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का संदाय करने के अतिरिक्त, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक हजार रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा, तथापि, इस खंड के अधीन शास्ति उस वस्तु संव्यवहार कर की रकम से अधिक नहीं होगी, जिसका संदाय करने में वह असफल रहा था।

40 115. यदि कोई निर्धारिती धारा 110 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विहित समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा।

विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति।

45 116. यदि निर्धारण अधिकारी का, इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान यह समाधान हो जाता है कि कोई निर्धारिती धारा 111 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा निर्धारिती उसके द्वारा संदेय किसी वस्तु संव्यवहार कर और ब्याज, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए, दस हजार रुपए की राशि का, शास्ति के रूप में, संदाय करेगा।

सूचना का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

117. (1) धारा 114 या धारा 115 या धारा 116 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उक्त धाराओं में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी, यदि निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि उक्त असफलता युक्तियुक्त कारण से हुई थी।

कतिपय दशाओं में शास्ति का अधिरोपित न किया जाना।

(2) इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

आय-कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना। **118.** आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 120, धारा 131, धारा 133क, धारा 156, धारा 178, धारा 220 से धारा 227, धारा 229, धारा 232, धारा 260क, धारा 261, धारा 262, धारा 265 से धारा 269, धारा 278ख, धारा 282 और धारा 288 से धारा 293 के उपबंध, जहां तक हो सके, वस्तु संव्यवहार कर के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे, जैसे वे आय-कर के संबंध में लागू होते हैं । 1961 का 43 5

आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील। **119.** (1) धारा 111 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए किसी निर्धारण आदेश से या धारा 112 के अधीन किए गए किसी आदेश से या इस अध्याय के अधीन अपने दायित्व के निर्धारित किए जाने से इन्कार किए जाने से या इस अध्याय के अधीन शास्ति का उद्ग्रहण करने के किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा । 10

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सत्यापित की जाएगी और उसके साथ एक हजार रुपए की फीस भी होगी ।

(3) जहां कोई अपील उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन फाइल की गई है, वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 249 से धारा 251 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी अपील को लागू होंगे । 1961 का 43

अपील अधिकरण को अपील । **120.** (1) धारा 119 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा । 15

(2) आय-कर आयुक्त, यदि वह धारा 119 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश के प्रति आक्षेप करता है, निर्धारण अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील किए जाने की ईप्सा की गई है, यथास्थिति, निर्धारिती या आय-कर आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी । 20

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सत्यापित की जाएगी और उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील की दशा में उसके साथ एक हजार रुपए की फीस भी होगी ।

(5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील, अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई है, वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 253 से धारा 255 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी अपील को लागू होंगे । 1961 का 43 25

मिथ्या कथन के लिए दंड । **121.** (1) यदि कोई व्यक्ति, इस अध्याय के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में कोई मिथ्या कथन करेगा या ऐसा लेखा या कथन परिदत्त करेगा, जो मिथ्या है, और जिसके बारे में वह यह जानता है या यह विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या जिसके सही होने का वह विश्वास नहीं करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा । 30

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय कोई अपराध, उस संहिता के अर्थात्गत असंज्ञेय समझा जाएगा । 1974 का 2

अभियोजन का संस्थित किया जाना। **122.** किसी व्यक्ति के विरुद्ध, धारा 121 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन, मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी से ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

नियम बनाने की शक्ति । **123.** (1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी । 35

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें ऐसी विवरणी धारा 110 के अधीन परिदत्त की जाएगी या परिदत्त कराई जाएगी या प्रस्तुत की जाएगी ; और 40

(ख) वह प्ररूप, जिसमें धारा 119 और धारा 120 के अधीन अपील फाइल की जा सकेगी और वह रीति, जिसमें वह सत्यापित की जा सकेगी ।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के 45

पूर्व दोनों सदन, उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह निष्प्रभावी हो जाएगा। तथापि, उस नियम के ऐसे उपांतरण या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमाम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- 5 **124.** (1) यदि इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको इस अध्याय के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के 10 समक्ष रखा जाएगा।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

125. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 98 की सारणी में, 1 जून, 2013 से,—

2004 के अधिनियम 23 का संशोधन।

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने, कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार से संबंधित स्तंभ (2) के अधीन,—

- 15 (अ) “या साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(आ) मद (ख) में “या यूनिट” शब्दों का, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा।

(ii) क्रम संख्यांक 2 के सामने, कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार से संबंधित स्तंभ (2) में,—

(अ) “या साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(आ) मद (ख) में “या यूनिट” शब्दों का, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा।

- 20 (iii) क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं०	कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार	दर	द्वारा संदेय
(1)	(2)	(3)	(4)
25	“2क. साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट का विक्रय, जहां— (क) ऐसे विक्रय का संव्यवहार किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट किया जाता है ; और (ख) ऐसी यूनिट के विक्रय के लिए संविदा, ऐसी यूनिट के वास्तविक परिदान या अंतरण द्वारा पूरी की जाती है।	0.001	विक्रेता”;

- 30 (iv) क्रम संख्यांक 4 के सामने, मद (ग) में, दर से संबंधित स्तंभ (3) के अधीन “0.017” अंकों के स्थान पर, “0.01” अंक रखे जाएंगे ;

(v) क्रम संख्यांक 5 के सामने, दर से संबंधित स्तंभ (3) के अधीन “0.25” अंकों के स्थान पर, “0.001” अंक रखे जाएंगे।

अंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि लोक हित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 76, खंड 77(ख), खंड 91 और खंड 92 के उपबंध अंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

5

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,00,000 रु से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	10
(2) जहां कुल आय 2,00,000 रु से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु से अधिक नहीं है	30,000 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु से अधिक है	1,30,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु से अधिक हो जाती है ।	15

(II) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	20
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु से अधिक है किंतु 5,00,000 रु से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु से अधिक हो जाती है ;	
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है किंतु 10,00,000 रु से अधिक नहीं है	25,000 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु से अधिक है	1,25,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु से अधिक हो जाती है ।	25

(III) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है किंतु 10,00,000 रु से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	30
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु से अधिक है	1,00,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु से अधिक हो जाती है ।	

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

35

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;	
(2) जहां कुल आय 10,000 रु से अधिक है किंतु 20,000 रु से अधिक नहीं है	1,000 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु से अधिक हो जाती है ;	
(3) जहां कुल आय 20,000 रु से अधिक है	3,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु से अधिक हो जाती है ।	40

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

45

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

पैरा ड

5 किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में

कुल आय का 30 प्रतिशत ।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

10 (क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व; अथवा

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस, और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

50 प्रतिशत ;

15 (ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ; और

20 (ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

25 ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी:—

आय-कर की दर

1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—

(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—

- 30 (i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;
- (ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;
- (v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर— 10 प्रतिशत ;

35 (अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;

(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं

40 (इ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति

(vi) किसी अन्य आय पर 10 प्रतिशत ;

(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—

(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—

(अ) विनिधान से किसी आय पर 20 प्रतिशत ;

45 (आ) धारा 115ड या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर

10 प्रतिशत ;

(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;	
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;	
(उ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा उधार लिए गए धन या सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उपगत ऋण पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;	5
(ऊ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में, जहां करार 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् किया गया है	25 प्रतिशत ;	10
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(च) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर, जहां करार 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् किया गया है	25 प्रतिशत ;	15
(ए) सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर, जहां करार 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् किया गया है	25 प्रतिशत ;	20
(ऐ) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	25
(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;	
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—		
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर [जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है]	20 प्रतिशत ;	30
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में, जहां करार 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् किया गया है	25 प्रतिशत ;	35
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर, जहां करार 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् किया गया है	25 प्रतिशत ;	40
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर, जहां करार 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् किया गया है	25 प्रतिशत ;	45
(उ) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	50
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;	

	(ए) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
5	(ऐ) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
	(ओ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ।
	2. किसी कंपनी की दशा में,—	
	(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
	(i) “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
10	(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
	(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
	(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
	(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
	(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
15	(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
	(iii) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर [जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में विनिर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है]	20 प्रतिशत ;
20	(iv) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	25 प्रतिशत ;
25	(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—	
30	(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
	(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	25 प्रतिशत ;
35	(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
	(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
	(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	25 प्रतिशत ;
	(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
40	(viii) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
	(ix) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
	(x) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।
45	स्पष्टीकरण — इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, “विनिधान से आय” और “अनिवासी भारतीय” के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में क्रमशः उनके हैं ।	

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,— 5

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ।

10

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और “अग्रिम कर” की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय 15 में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115अख या धारा 115अग या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में “अग्रिम कर” नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115ककग या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखघ या धारा 115खखड या धारा 115ड 20 या धारा 115अख या धारा 115अग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे “अग्रिम कर” पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा 25 में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,00,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	
(2) जहां कुल आय 2,00,000 रु० से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;	30
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है	30,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;	
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है	1,30,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ।	

(II) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किन्तु अस्सी वर्ष से कम आयु का है— 35

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक हो जाती है ;	40
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है	25,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;	
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है	1,25,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ।	

(III) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

- | | | |
|---|---|---|
| 5 | (1) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| 5 | (3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है, किन्तु 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है | उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ; |
| | (4) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है | 1,00,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक हो जाती है । |

आय-कर पर अधिभार

10 इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

15

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

- | | | |
|----|--|---|
| 20 | (1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है | कुल आय का 10 प्रतिशत ; |
| 20 | (2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है, किन्तु 20,000 रु० से अधिक नहीं है | 1,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है ; |
| | (3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है | 3,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है । |

आय-कर पर अधिभार

25 इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

30

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

35 इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

40

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार 5 के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ड

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

10

I. देशी कंपनी की दशा में

कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

15

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,

और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

40 प्रतिशत ।

20

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

25

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार 30 के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी जो दस करोड़ रुपए से अधिक है।

35

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतर के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “गृह-संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंद्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माकड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(vi) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

5 (vii) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(viii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

10 (3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से अन्यथा रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से अन्यथा किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

15 (4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का 18) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 (2009 का 33) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

20 **नियम 10**—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची
(धारा 75 देखिए)

अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख	
(1)	(2)	(3)	
सा0 का0 नि0 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 [27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्र0 सं0 56 के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7210, 7212" प्रविष्टि रखी जाएगी।	1 मार्च, 2011	5

तीसरी अनुसूची

(धारा 76 देखिए)

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 3 में,—

- 5 (क) टैरिफ मद 0302 24 00 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “टरबोट्स (सेटा मेक्सिमा)” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
(ख) टैरिफ मद 0303 34 00 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “टरबोट्स (सेटा मेक्सिमा)” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 15 की टैरिफ मद 1517 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(3) अध्याय 48 में,—

(क) टिप्पण 13 का लोप किया जाएगा ;

- 10 (ख) उपशीर्ष टिप्पण 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“अनुपूरक टिप्पण :

टिप्पण 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शीर्ष 4811, 4816 या 4820 में के कागज और कागज उत्पाद किसी स्वरूप, नाम, लोगो, मोटिफ या प्ररूप में मुद्रित किए जाते हैं तो वे तब तक अपने-अपने शीर्षों के अधीन वर्गीकृत बने रहेंगे जब तक ऐसे उत्पादों का आगे और मुद्रण या लेखन के लिए उपयोग किया जाना आशयित है ।”।

- 15 (4) अध्याय 87 में, शीर्ष 8703 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “125%” प्रविष्टि रखी जाएगी;
(5) अध्याय 89 में, शीर्ष 8903 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “25%” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

चौथी अनुसूची
[धारा 77 (ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,—

(1) क्रम सं0 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	
“9क.	1701	अपरिष्कृत चीनी, सफेद या परिष्कृत चीनी	20%”।	5

(2) क्रम सं0 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	
“23क.	2606 00 10	बाक्साइट (प्राकृतिक), जो निष्ठापित नहीं है	30%	
23ख.	2606 00 20	बाक्साइट (प्राकृतिक), निष्ठापित	30%”।	10

(3) क्रम सं0 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	
“24क.	2614 00 10	प्रदीप्त, अप्रसंस्कृत	30%	
24ख.	2614 00 20	प्रदीप्त, उन्नत (बेनिफिसिएटेड प्रदीप्त, जिसके अंतर्गत प्रदीप्त ग्राउंड भी है)	30%”।	

पांचवीं अनुसूची

(धारा 91 देखिए)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—

(क) क्रम सं0 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

5	क्रम सं0	शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन
	(1)	(2)	(3)
10	“31क.	3004	(i) ऐसी औषधियां, जो ऐसी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव रसायनी पद्धतियों में अनन्यतः उपयोग में लाईं, जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत पुस्तकों या, यथास्थिति, भारतीय होम्योपैथिक औषधकोश या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या जर्मन होम्योपैथिक औषधकोश में वर्णित फार्मूलों के अनुसार विनिर्मित और ऐसी पुस्तकों या औषधकोश में यथाविनिर्दिष्ट नाम से विक्रीत की जाती हैं ;
15			(ii) आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव रसायनी पद्धतियों में उपयोग में लाईं और किसी ब्रांड नाम के अधीन विक्रीत की जाने वाली औषधियां।
20			स्पष्टीकरण— इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, “ब्रांड नाम” से ऐसा कोई ब्रांड नाम अभिप्रेत है चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, अर्थात् ऐसा कोई नाम या चिह्न, जैसे कोई प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई लेखन, जिसका उपयोग किसी औषधि के संबंध में यह उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है या जिससे उसका व्यापार के अनुक्रम में उस औषधि और ऐसे किसी व्यक्ति के बीच, जो ऐसा नाम या चिह्न, उस व्यक्ति की पहचान उपदर्शित करते हुए या उसके बिना, उपयोग कर रहा है, संबंध उपदर्शित किया जा सके।” ;

(ख) क्रम सं0 64 के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर “7615 10 11” प्रविष्टि रखी जाएगी।

छठी अनुसूची
(धारा 92 देखिए)

() केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 3 में,—

(क) टैरिफ मद 0302 24 00 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “टरबोट्स (सेटा मेक्सिमा)” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 5

(ख) टैरिफ मद 0303 34 00 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “टरबोट्स (सेटा मेक्सिमा)” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 15 की टैरिफ मद 1517 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(3) अध्याय 24 में,—

(क) टैरिफ मद 2402 10 10 और 2402 10 20 में, स्तंभ (4) में उसमें प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, “12% या 1781 रु0 प्रति हजार, जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी; 10

(ख) टैरिफ मद 2402 20 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “1772 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ग) टैरिफ मद 2402 20 40 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “1249 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(घ) टैरिफ मद 2402 20 50 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “1772 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ङ) टैरिफ मद 2402 20 60 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2390 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(च) टैरिफ मद 2402 20 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2875 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी; 15

(छ) टैरिफ मद 2402 90 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “1511 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ज) टैरिफ मद 2402 90 20 और 2402 90 90 में, स्तंभ (4) में उसमें प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, “12% या 1738 रु0 प्रति हजार, जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(4) अध्याय 87 में, टैरिफ मद 8703 23 10, 8703 23 91, 8703 23 92, 8703 23 99, 8703 24 10, 8703 24 91, 8703 24 92, 8703 24 99, 8703 32 10, 8703 32 91, 8703 32 92, 8703 32 99, 8703 33 10, 8703 33 91, 8703 33 92, 8703 33 99, 20 8703 90 90 में, स्तंभ (4) में उसमें प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने का है। खंडों पर टिप्पण में विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट किया गया है।

नई दिल्ली;
22 फरवरी, 2013

पी. चिदम्बरम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के

अधीन

राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम के, लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 22 फरवरी, 2013 के पत्र सं० एफ० 2(9)-बी०(डी०)/2013 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन, वित्त विधेयक, 2013 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की भी सिफारिश करते हैं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 28 फरवरी, 2013 को बजट पेश किए जाने के ठीक पश्चात् पुरःस्थापित किया जाएगा।